राजस्थान विधान सभा

१२ वीं बैठक, बुद्धवार, दिनांक–७ दिसम्बर, सन् १९५५ ई०

विधान सभा की बैठक, सभा भवन, जयपुर में प्रातः ९–२० बजे प्रारम्भ हुई

(श्री नरोत्तमलाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष—प्रश्न, श्री चांदमल मेहता।

प्रश्न संख्या १०६

राजस्थान के विभिन्न महिला औषधालायों में चौकीदार का प्रबन्ध

श्री चांदमल मेहता—क्या स्वास्थ्य मंत्री निम्न-लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान में महिला अस्पताल कहां हैं ?

(ख) ऐसे कोन से महिला अस्पताल हैं जहां चौकीदार रहते हैं ?

(ग) किशनगढ़ के महिला अस्पताल (सिटी डिस्पेन्सरी) में चौकीदार नहीं रखने के क्या कारण हैं ?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मंत्री)—(क) सूची संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट १ देखिये)

(ख) सभी महिला अस्पतालों में प्रायः चौकीदार रहते हैं अथवा चतुर्थ श्रेणी के अन्य कर्मचारियों से चौकीदार का कार्य लिया जाता है।

(ग) सिटी डिस्पेन्सरी किशनगढ़ पूर्णतया महिला अस्पताल नहीं है किन्तु एक प्रसूति कक्ष इसके एक भाग में चलाया जाता है। चौकीदार की पृथक पोस्ट नहीं है, पर सिटी डिस्पेन्सरी के

Page No.2

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

चतुर्थ श्रेणी के तीनों कर्मचारियों से आवश्यकतानुसार चौकीदार का कार्य लिया जाता है। इनमें से एक हर समय सिटी डिस्पेन्सरी में उपस्थित रहता है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि चौकीदार अस्पताल के टाइम के अलावा नहीं रहता है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—रहता है, मैंने बतलाया। हर वक्त एक आदमी जरूर रहता है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि आज तक कभी भी चौकीदार रात के टाइम पर उस अस्पताल में नहीं रहा है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने जवाब में अर्ज किया कि हर समय सिटी डिस्पेन्सरी में एक आदमी जरूर रहता है।

श्री चांदमल मेहता—मैं आपके जवाब को चेलेन्ज करता हूं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—इसकी और जानकारी प्राप्त करूंगा।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या १०७

बंजड़ भूमि को उर्वरा बनाने हेतु निश्चित धनराशि व्यय करने का आधार।

श्री चांदमल मेहता—क्या सिंचाई मंत्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:-

(क) Unirrigated land को सिंचाई के साधनों द्वारा इर्रिगेटेड बनाने पर प्रति एकड़ कितना कितना रुपया खर्च करने के लिए सरकार ने क्या क्राइटेरिया मुकर्रर किया है ?

(ख) उक्त क्राइटेरिया किस आधार पर निर्धारित किया गया है ?

(ग) राजस्थान के पड़ौसी प्रान्तों के मुकाबले में वह कितने प्रतिशत अधिक या कम है ?

Page No.3

श्री रामनिवास मिर्धा (सिंचाई मंत्री)—(क) जो काम माइनर समझे जाते हैं या जिनकी लागत १० लाख से कम आने का अनुमान होता है उनके लिए साधारण तौर से १००) प्रति एकड़ या इससे कम लागत का ध्यान रखा जाता है। जो काम मध्यम या बड़े समझे जाते हैं उन पर साधारण तौर पर २५०) प्रति एकड़ तक माना जा सकता है।

(ख) अनुमान लगाते समय इस बात का ध्यान रखा जाता है कि काम से आमदनी हो वह मरम्मत, सिंचाई दर्ज करना और उसकी वसूली करना आदि का खर्चा निकाल कर कम से कम व्यय का ४॥ प्रतिशत हो। मध्यम और बड़े कामों में बेटरमेन्ट फी भी लगाई जाती है इस कारण उन पर खर्चा अधिक किया जा सकता है।

(ग) सरकार के पास इसकी कोई सूचना नहीं है।

श्री माधोसिंह भैंसवाड़ा—मध्यम और माइनर में क्या क्राइटेरिया है ?

श्री रामनिवास मिरधा—मैं फिर से कह दूं कि माइनर वर्क्स उनको कहते हैं जिनकी दस लाख तक की लागत होती है और मध्यम १ करोड़ तक की लागत के और १ करोड़ से अधिक हों उनको मेजर कहते हैं।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री हनवन्तसिंह।

प्रश्न संख्या १०८

सन् १९५४-१९५५ में जिला जैसलमेर में की जाने वाली चोरियां, डकैतियां इत्यादि

श्री हनवन्तसिंह—क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

जिला जैसलमेर में सन् १९५४-५५ में कितनी चोरियाँ, नकबज़नी व डकैतियां हुईं ?

श्री रामकिशोर व्यास (गृह मन्त्री)—जिला जैसलमेर में सन् १९५४-५५ में २७ चोरियां, ७ नकबजनी तथा २ डकैतियां हुईं। अक्तूबर १९५५ के अन्त तक २० चोरियां, १५ नकबजनी तथा १ डकैती हुई।

श्री हनवन्तसिंह—डकैतियां करने वाले पाकिस्तान की ओर से आये थे क्या ?

श्री रामकिशोर व्यास—यह तो आप जानते होंगे कि कहां से आये।

(हंसी)

Page No.4

कुं० श्री जसवन्तसिंह—जैसलमेर में डकैतियां बढ़ रही हैं या कम हो रही हैं ?

श्री रामकिशोर व्यास—गये साल २ डकैतियां हुई थीं, इस साल १ डकैती हुई है ।

श्री अध्यक्ष—अब फर्क पड़ गया है ।

श्री खेतसिंह—क्या डकैतियां भंवरसिंह के दल ने या लोकल डकैतों ने डालीं ?

श्री रामकिशोर व्यास—नाम तो इस समय नहीं है ।

श्री सन्तोष सिंह कछवाहा—जितनी डकैतियां हुईं उनमें से कितनी पकड़ी गईं ?

श्री हनवन्त सिंह—आदमी को किडनेप करना क्या डकैती में शामिल नहीं है ?

श्री रामकिशोर व्यास—किडनेप करना और है और डकैती करना और ।

श्री खेतसिंह—ये दोनों डकैतियां कहां कहां हुईं ?

श्री रामकिशोर व्यास—जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट में हुई हैं ।

श्री खेतसिंह—कौन से गांव में हुई ?

श्री रामकिशोर व्यास—इसके लिये अलग नोटिस की आवश्यकता है ।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—डकैतों के नाम आपके पास नहीं हैं तो क्या उनको मालूम करने की कोशिश की जायगी ?

श्री रामकिशोर व्यास—केस दर्ज है, चालान होगा ही ।

प्रश्न संख्या १०६

जिला वेटरनरी अधिकारियों के ग्रेड्स का निश्चयन

श्री प्रभुदयाल—क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) डिस्ट्रिक्ट वेटरनरी ऑफिसर्स के ग्रेड कब से कार्यान्वित किये गये हैं ?

(ख) यदि नहीं किये गये, तो क्यों ?

श्री रामनिवास मिर्धा—(क) स्टेट वैटरनरी ऑफिसर्स का कोई जुदा ग्रेड नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न संख्या ११०

किशनगढ़ नगरपालिका के चुनाव के पश्चात नगरपालिका के कुछ कर्मचारियों को पृथक करना

श्री चांदमल मेहता—क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) किशनगढ़ नगरपालिका का चुनाव कब हुआ ?

(ख) उक्त चुनाव के बाद नगरपालिका के कितने कर्मचारी नौकरी से अलग किये गये ?

(ग) कितने कर्मचारियों ने डाइरेक्टर लोकल बॉडीज़ के पास म्युनिसिपल चेयरमेन की आज्ञा के खिलाफ अपीलें कीं ?

(घ) किस किस कर्मचारी की कितने कितने समय की सेवायें हैं और वे किन कारणों से अलग किये गये हैं ?

(ङ) सरकार के पास किन किन कर्मचारियों की म्युनिसिपल बोर्ड की सर्विस से अलग किये जाने के बाबत शिकायतें पेश हुई हैं ?

श्री बद्रीप्रशाद गुप्ता—(क) ता० ३१. १०. ५३ को।

(ख) ८ कर्मचारी।

(ग) २ कर्मचारियों ने।

(घ) (१) श्री शंकरलाल वर्मा की सेवा १॥ वर्ष की थी और वे नौकरी से गैरहाजिर रहने के कारण डिसिप्लीनरी एक्शन लेकर हटाये गये।

(२) श्री शिवरतन शर्मा चपरासी की सेवा २॥ वर्ष की थी। वे रिश्वत लेने के अपराध में और कार्य सन्तोषजनक न करने के कारण हटाये गये।

(३) श्री दौलतसिंह ड्राइवर की सेवायें करीब ३ वर्ष की हैं। इन्होंने बोर्ड के कार्य में त्रुटि करने व इसके कारण बोर्ड को काफी नुकसान पहुंचाने व सन्तोषजनक कार्य न करने के कारण हटाये गये।

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

(४) श्री मोहनसिंह गिरदावर की सेवायें करीब १।। साल की है। वे बिना इस्तीफा दिये नौकरी छोड़ चले जाने के कारण नौकरी से बरखास्त किये गये।

(५) श्री अब्दुलगनी खिलवत की सेवायें करीब २ वर्ष की थीं। कार्य सन्तोषजनक न होने के कारण नौकरी से पृथक किये गये।

(६) श्री छोटूलाल खाती चपरासी की सेवा करीब २ वर्ष की है और अपनी ड्यूटी से बिना इत्तला गैरहाजिर रहने व कार्य सन्तोषजनक न होने के कारण डिसिप्लीनरी एक्शन लेकर अलग किये गये।

(७) अलफखां वृद्ध हो जाने व कार्य पूर्णतया सम्पन्न न कर सकने के कारण अलहदा किये गये।

(८) श्री नोरतनमल क्लर्क की सेवा २। वर्ष की थी। उन्हें बिना इत्तला चोकी के दफ्तर को सूना छोड़ने व सन्तोषजनक कार्य न करने के कारण निकाला गया।

(९) श्री दौलतसिंह ड्राइवर ने सरकार के पास दिनांक ५. ११. ५५ को अपील पेश की है जो सरकार के विचाराधीन है।

श्री **चांदमल मेहता**—क्या यह सही है कि श्री दौलतसिंह के अलावा भी कई व्यक्तियों ने म्युनिसिपैलिटी के खिलाफ फैसले की दरख्वास्त पेश की है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—म्युनिसिपैलिटी के फैसले के खिलाफ निगरानी दायर करनी चाहिये।

श्री चांदमल मेहता—निगरानी की दरख्वास्त इसके अलावा पेश हुई है क्या?

श्री बद्रीप्रशाद गुप्ता—ऐसी मेरी जानकारी में नहीं है। अगर हुई होगी तो विचार किया जायगा।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जो कारण बताये गये नौकरी से अलग करने के वे कारण ऐसे नहीं हैं जिनके कारण नौकरी से अलग किया जा सकता है?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—निगरानी पेश होने के बाद ही इन बातों पर विचार हो सकता है। अगर निगरानी नहीं पेश करेंगे तो जो म्युनिसिपैलिटी का फैसला होगा वह फाइनल होगा।

Page No.7

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि केवल मात्र यह कह कर कि तुम्हारा काम सन्तोषजनक नहीं है किसी कर्मचारी को नौकरी से अलग करने का पर्याप्त कारण आप मानते हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने उत्तर में आपसे निवेदन किया कि किन किन कारणों से किस किस को हटाया गया ? अगर निगरानी पेश होगी तो विचार किया जा सकता है, वैसे नगरपालिका ओटोनोमस बोडी है । जब तक जाब्ते के अनुसार निगरानी पेश नहीं होगी कोई कार्यवाही नहीं हो सकती ।

प्रश्न संख्या १११

राजस्थान की विभिन्न नगरपालिकाएं व उनके अध्यक्षों के टी. ए. बिल्स

श्री चांदमल मेहता—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे ?

(क) राजस्थान में कुल कितनी नगरपालिकायें हैं ?

(ख) उक्त नगरपालिकायें कितनी श्रेणियों में किस आधार विभक्त की गई हैं ?

(ग) किस किस श्रेणी के नगरपालिकाओं के अध्यक्षों के टी. ए. बिल्स पर डाइरेक्टर लोकल बोडीज़ के काउन्टर सिग्नेचर कराने के बाद पेमेन्ट किये जाने के सरकुलर जारी किये गये हैं ?

(घ) उक्त सरक्यूलर कब जारी किये गये व उनके जारी होने के बाद कितनी नगर पालिकाओं के टी. ए. बिल्स में डाइरेक्टर, लोकल बोडीज़ द्वारा संशोधन कराये गये ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—(क) १४३ ।

(ख) ७ श्रेणियों में उनकी तीन वर्ष की आय के औसत के आधार पर ।

(ग) समस्त श्रेणियों के लिए ।

(ग) ता. १२. ३. ५५ को ।

उक्त विज्ञप्ति जारी करने के पश्चात् १६ नगरपालिकाओं के टी. ए. बिलों पर संशोधन किये गये हैं जिनकी सूची यह है—

क्रम संख्या	नगरपालिका का नाम	बिल संख्या
१.	नाथ द्वारा	२
२.	चित्तौड़गढ़	२

Page No.8

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

१	२	३
३.	डीडवाना	१.
४.	फलोदी	१.
५.	सरदारशहर	१.
६.	बांसवाडा	१.
७.	जोधपुर	१.
८.	जालौर	१.
९.	बीदासर	१.
१०.	कुम्भेर	१.
११.	निवाई	१.
१२.	खेडली	१.
१३.	सीकर	१.
१४.	सरवाड	१.
१५.	डीग	१.
१६.	बयाना	१.
१७.	कामां	१.
१८.	लाखेरी	१.
१९.	भुसावर	१.

श्री चांदमल मेहता—इस तरह का सर्कुलर नगरपालिकाओं के लिए किए जाने के क्या कारण हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—टी. ए., डी. ए. बिल्स पर कोई अथोरिटी होनी चाहिए दस्तखत करने वाली।

श्री चांदमल मेहता—जबकि म्युनिसिपैलिटी के हिसाब की जांच करने के लिए ऑडिटर्स होते हैं तो वे इस सम्बन्ध में भी जांच कर सकते हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—लोकल फंड आडिट से यह होता है, लेकिन वह एक साल या दो साल बाद बन्द होता है। इसके मुकम्मिल नहीं होने की कई जगह से शिकायतें थीं इसलिए हाइएस्ट ओथोरिटी जो इस विभाग की है वह गवर्नमेन्ट के ध्यान में लाती है तो कार्यवाही करना आवश्यक होता है।

Page No.9

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि जो म्युनिसिपल एक्ट चालू है उसके अन्तर्गत यह सर्कुलर जारी नहीं किया गया है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—ऐसी बात मेरे ध्यान में नहीं है।

श्री चांदमल मेहता—क्या यह सही है कि टी. ए. बिल लेने के पहले डायरेक्टर ऑफ लोकल बोडीज के उसके ऊपर हस्ताक्षर कराये जायें इस तरह का जो सर्कुलर है क्या वह नगर-पालिकाओं के अधिकारों का अपहरण नहीं करता ?

(घंटी)

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट।

प्रश्न संख्या ११२

पंचायत क्षेत्रों व वार्डों का निर्माण करते समय परामर्श

श्री भोपालसिंह—क्या स्वायत्त शासन मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:-

(क) क्या पंचायत क्षेत्र वहां के एम. एल. ए, एस. डी. ओ. और तहसीलदारों से परामर्श लेकर बनाये गये हैं ?

(ख) क्या पंचायतों के वार्ड ग्राम के मुखियाओं से परामर्श लेकर बनाये गये हैं ?

(ग) क्या वार्ड बनाते समय बराबर आबादी पर पन्चों की संख्या मुकर्रर की गई है ?

(घ) अगर हां, तो गोरेरी चाचा मय स्टेशन डेगाणा राकिया सणी, गोरेरी कर्णा, पंच रान्डा खुर्द, पंच रान्डा कलां का वास, सुरीयास तहसील डेगाणा वह जडऊ कलां, मय प्रोत बासणी, जडाऊ खुर्द, रीया बडी का वार्ड नम्बर ४ जाटेवास कालीया टडा सुरीयास तहसील मेडता की अलग अलग आबादी क्या है और पंचों की संख्या अलग अलग क्या है ?

(ङ) क्या इन सब की आबादी बराबर है ? अगर नहीं तो, क्यों नहीं ?

(च) क्या इस अनियमितता को सरकार दूर करके तहसील पंचायत चुनाव करायेगी ? अगर नहीं, तो क्यों नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—(क) जहां जहां संभव हो सका है जानकारी कर ली गई है।

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

(ख) जी हां । जहां जहां उनकी सहायता आवश्यक हुई व उपलब्ध हो सकी ।

(ग) यथा संभव चुनाव की सुविधा को देख कर ।

(घ) जनसंख्या व पंचों की संख्या निम्न है ।

क्र. सं.	गांव	जनसंख्या	पंचों की संख्या	नाम पंचायत
१.	गोरेरी चाचा	३००	१	चांदारुण
२.	राकासनी	६२६	२	वावला
३.	गोरेरी कलां	२०४	१	चांदारुण
४.	पचरन्डा खुर्द व कलां	४०४	१	झडल
५.	सुरीयास	२२१	१	झडल
६.	जडाउकलां	३३२	१	रिंया
७.	जडाउ खुर्द	३१०	१	रिंया
८.	रियां बडी वार्ड नं० ४.	३५०	१	रिंया
९.	कालियातराटडा	३८१	१	रिंया
१०.	सूरियास	४४८		

(ङ) लगभग समान आबादी के वार्ड बनाने का ध्यान रखा जाता है परन्तु बराबर रखना संभव नहीं हो सकता क्योंकि गांवों को मिलाने का ढंग व चुनाव की सुविधा तथा पंचायत क्षेत्र की जनसंख्या को भी देखना पड़ता है ।

(च) इसमें अनियमितता का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

श्री भोपालसिंह—क्या जो जनसंख्या बतलाई गई है गोरेरी चाचा की वह गलत है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—सही है, उसकी जनसंख्या ३०० बतलाई ।

श्री भोपालसिंह—क्या उसकी जनसंख्या १५०० से कम है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—३०० बताई ।

श्री भोपालसिंह—मैं पूछ रहा हूँ १५०० से कम है क्या ?

Page No.11

श्री अध्यक्ष—३०० तो १५०० से तो कम ही है।

श्री भोपालसिंह—क्या वहां की जनसंख्या पन्द्रह सौ से ज्यादा है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मेरी सूचना के मुताबिक ३०० है।

वेदपाल त्यागी—यह आप कौन से सन् की सेन्सस के आधार पर बतला रहे हैं ?

श्री बद्री प्रसाद गुप्ता—१९५१ की।

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—माननीय सदस्य १५०० कह रहे हैं, क्या इसकी जानकारी करेंगे ?

कुं० श्री जसवन्तसिंह—क्या माननीय मंत्री को जिस अधिकारी ने गलत इत्तला दी है उसके खिलाफ कोई कार्यवाही करेंगे अगर वहांकी जन संख्या १५०० हुई और ३०० नहीं हुई तो।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—उचित कार्यवाही जरूरी की जायगी।

श्री रामदयाल उपाध्याय—क्या चीफ पंचायत ऑफिसर ग्राम पंचायतों की सूचना गलत देते हैं ?

कुं० श्री जसवन्तसिंह—माननीय मंत्री क्या उस अधिकारी को जब तक इस बात की जांच नहीं हो जाती सस्पेन्ड करने का आदेश देंगे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—कितना बड़ा जुल्म हुआ है, यह उस बात पर निर्भर है।

श्री भैरोंसिंह—जिन पंचायतों का भाग (ख) में जिक्र किया गया है क्या उनके पंचों की संख्या के विषय में वहां के तहसीलदार और एस. डी. ओ. की राय ली गई या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह तो अपने आप ही ली जाती है।

श्री भैरोंसिंह—क्या इनमें उनकी राय लेना आवश्यक समझा गया या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—वह तो सवाल जो था सारे राजस्थान के लिये था।

श्री हिम्मतसिंह—अगर उस गांव की आबादी १५०० निकली तो क्या वह पंचों की संख्या बढ़ा दी जायगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—जरूर बढ़नी चाहिये।

Page No.12

श्री भैरोंसिंह—मैंने यह प्रश्न पूछा था कि जिन पंचायतों का जिक्र भाग (ख) में किया गया है क्या उनमें पंचों की संख्या के बारे में एस० डी० ओ. की राय नहीं ली गई ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—इसका उत्तर मैं दे चुका हूं।

श्री भैरोंसिंह—उत्तर तो आपने सारे राजस्थान के लिये दिया था। मैंने पूछा है कि भाग (ख) में जिन पंचायतों का जिक्र किया गया है उनमें राय ली गई है या नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—इन पंचायतों के बारे में खास तौर से मालूम नहीं है।

श्री वेदपाल त्यागी—सरकार के नोटिस में जब यह बात लाई जाय कि यहां कि जनसंख्या ३०० नहीं १५०० है और जो पंच कायम किये गये हैं ३०० के हिसाब से; तो ऐसे मामलों में सरकार क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—कानून के मुताबिक जिन जगहों की जनसंख्या ज्यादा है वहां पंचों की संख्या जा बढ़ाई सकती है। इसके अलावा और कोई कार्यवाही नहीं हो सकती। अगर आप बतलायें तो कार्यवाही हो सकती है, उस पर विचार किया जा सकता है।

श्री भोपालसिंह—क्या इन जगहों के पंचों की संख्या तहसील पंचायत के चुनाव होने से पहले बढ़ा दी जायगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—इस बात की जांच होने बाद कि आबादी ज्यादा है तो पंचों की संख्या बढ़ा दी जायगी।

कु० श्री जसवन्तसिंह—कितनी जनसंख्या पर कितने पंच मुकर्रर किये जाते हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—अन्दाजन ऐसा है कि २५० से ४०० तक की जनसंख्या पर एक पंच।

प्रश्न संख्या ११३

सवाई माधोपुर डिस्पेन्सरी में डॉक्टर-कम्पाउन्डर्स तथा नर्सों का समुचित प्रबन्ध

श्री श्रीराम गोयल—क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) सवाई माधोपुर डिस्पेन्सरी में इस वर्ष अधिक से अधिक एक दिन में कितने बीमार इलाज के लिये आए ?

[श्री श्रीदास गोयल]

(ख) उक्त डिस्पेन्सरी में कितने डॉक्टर, कम्पाउन्डर्स तथा नर्से हैं ?

(ग) क्या सरकार इन्हें पर्याप्त समझती है ?

(घ) यदि नहीं, तो इस कमी को कब तक और किस तरह से पूरा किया जावेगा ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—(क) ४२५, तारीख १७।९।५५ को । १४१ नवीन, २८४ पुराने ।

(ख) १. सी. ए. एस. क्लास प्रथम श्रेणी १

२. कम्पाउन्डर २

३. नर्स दाई १ (ट्रेन्ड नर्स न मिलने से जगह रिक्त है)

(ग) जी हां ।

(घ) इस पर अभी विचार नहीं किया गया है । विचार कर अगली पंचवर्षीय योजना में निर्णय किया जावेगा ।

श्री श्रीदास गोयल—क्या सरकार यह जरूरी समझती है कि वास्तव में जहां कमी है तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना तक इन्तजार न करके कम्पाउन्डर्स और नर्सों आदि के लिए बढ़ोतरी कर सकती है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह सारे राजस्थान के लिए एक स्कीम बनाई है उसका खर्चा ६ लाख स्वीकार किया गया है ; इसलिये अगली पंचवर्षीय योजना में ही इस पर विचार किया जावेगा ।

श्री श्रीदास गोयल—क्या यह सही है कि केवल एक डॉक्टर वहां होने से वही प्रेस्क्रिप्शन देता है, वही मरीजों को दवाई देता है और ४०० नये पुराने बीमारों को दवाई देनी पड़ती है तो क्या सरकार समझ सकती है कि इतने मरीजों को दवाई देने और अटेन्ड करने के लिए एक डॉक्टर काफी है ? क्या वहां कोई कम्पाउन्डर भेजने की सरकार नहीं सोचती ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—ऐसा मालूम होता है कि डॉक्टर वहां बहुत होशियार है इसलिए काम ज्यादा और अच्छा करता है ।

(हंसी)

कुं० श्री जसवन्तसिंह—रूटीन वर्क में मरीजों की संख्या को देखते हुए क्या सरकार जल्दी इन्तजाम नहीं कर सकती ? इसके लिए भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिए ठहरना पड़ेगा क्या ?

श्री बद्रीप्रसाद—नेशनेलाइजेशन की स्कीम तैयार की गई है जिसका खर्चा ६ लाख है। इसमें कम ज्यादा करना हमारे हाथ में है। हम इसके लिए अगले साल कुछ करने की सोच सकते हैं।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—ऐसी बातों का भी ताल्लुक पंचवर्षीय योजना से है क्या ?

श्री बद्रीप्रसाद—जी हां, क्यों नहीं ?

श्री श्रीदास गोयल—एक कम्पाउन्डर ही बढ़ा देंगे क्या अति शीघ्र ?

श्री बद्रीप्रसाद—मैं कोशिश करूंगा।

श्री भैरूंसिंह—सवाई माधोपुर में म्युनिसिपल चुनाव हों, तब तक तो बढ़ा दीजियेगा।

(हंसी)

प्रश्न संख्या ११४

सन् १९५१ से ५५ तक जिला जैसलमेर के लिये सिंचाई द्वारा व्यय की गई धन—राशि

श्री हनवन्तसिंह—क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

जिला जैसलमेर के लिये सिंचाई विभाग द्वारा कितनी धन राशि सन् १९५१ से ५५ तक खर्च की गई है ?

श्री रामनिवास मिर्धा—जिला जैसलमेर के लिये सिंचाई विभाग द्वारा निम्नलिखित खर्च किया गया :

सन् १९५२।५३	७१२६)	५३।५४	५३६)
सन् ५४।५५	२६०३)	कुल मीजान	१०२६५)

श्री खेतसिंह—क्या माननीय मन्त्री महोदय बतावेंगे कि यह रकम साल-साल कम क्यों होती गई ?

श्री रामनिवास मिर्धा—आवश्यकता मुताबिक क्योंकि वहां सिंचाई की ज्यादा पोसिबिलिटी नहीं है, जैसा कि प्रश्नकर्ता ठीक तरह से जानते हैं। पर जैसा आवश्यक होता है, रिपेयर के लिये खर्च किया जाता है।

कु० श्री जसवन्तसिंह—यह पांच सौ रुपये की इतनी बड़ी रकम !

श्री रामनिवास मिर्धा—यह खडीन की रिपेयर के लिये है। बड़ी रकम इसमें नहीं लगाई जा सकती।

श्री हनवन्तसिंह—जैसलमेर में सिंचाई विभाग का काम चल सकता है। आप आवें नहीं और फिर बातें करते हैं काम करने की। असल बात तो यह है कि काम करना नहीं चाहते।

(हंसी)

श्री रामनिवास मिर्धा—अगर माननीय सदस्य इस बारे में सुझाव दें तो जरूर वैसी कार्यवाही करते। हमारी तरफ से तो हम सर्वे कर रहे हैं खडीनों का और दूसरा काम भी करवा रहे हैं। फिर भी अगर माननीय सदस्य के और कोई खास सुझाव होंगे तो उन पर जरूर कार्यवाही करेंगे।

श्री भैरोंसिंह—क्या ऐसा स्टेटमेन्ट सरकार ने तैयार किया है कि जिसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि सिंचाई तक सभी साधनों की वहां मरम्मत हो चुकी है ?

श्री रामनिवास मिर्धा—सुनाई नहीं दिया आपका प्रश्न।

श्री अध्यक्ष—यह तो बिल्कुल स्पष्ट है।

श्री भैरोंसिंह—सरकार की ओर से क्या ऐसा कोई स्टेटमेंट तैयार किया गया है जिसके आधार पर आप यह कह रहे हैं कि सिंचाई के साधन जितने वहां थे उन सबकी मरम्मत हो चुकी ? यह जो आप कह रहे हैं, किस आधार पर कह रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष—यह क्वेश्चन बिल्कुल दूसरा है। (श्री मिर्धा से) आप जवाब देना चाहेंगे क्या ?

श्री हनुवन्तसिंह—सिंचाई विभाग का वहां एक भी आदमी नहीं है तो फिर कौन सर्वे करेगा ?

श्री रामनिवास मिर्धा—सर्वे वहां का, एस.डी. ओ. इर्रिगेशन जो जोधपुर में है, उसका स्टाफ किया करता है।

श्री हनुवन्तसिंह—वह शायद वहां तक पहुँचेंगे भी नहीं ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट ।

प्रश्न संख्या ११५

गेवगढ डिस्पेन्सरी में दवाइयों का समुचित प्रबन्ध

श्री संग्रामसिंह—क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) देवगढ़ डिस्पेन्सरी में कितनी दवाइयों की कितनी मन्जूरी इस साल हुई ?

(ख) इसमें इन्डोर और आउटडोर मरीज कुल कितने आये ?

(ग) क्या आबादी के लिहाज से सरकार ये दवाइयें काफी समझती है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—(क)१७००) रुपये की ।

(ख) कुल मरीज १३४२६ आये जिनमें से १३३६० आउड पेशेन्ट तथा ६६ इनडोर पेशेन्ट एक जनवरी सन् १९५५ से ३१ अक्टूबर तक आये ।

(ग) जी हां, दवाइयें कम होने के सम्बन्ध में कोई शिकायत हमारे पास नहीं आई ।

श्री संग्रामसिंह—क्या यह बात सही है कि दवाइयों के अभाव में १ हजार मरीजों की चिकित्सा नहीं की जा सकी और निराश होकर मरीज वापिस लौट गये ।

श्री बद्रीप्राद गुप्ता—मैंने निवेदन किया कि ऐसी कोई शिकायत हमारे पास नहीं आई । अगर आती तो यहां जो रिज़र्व फण्ड रहता है उस रिज़र्व फण्ड में से दवाइयां और भेज देते ।

कु० श्री जसवन्तसिंह—अब शिकायत हो गई । क्या अब रिज़र्व फण्ड में से भेजने की कृपा करेंगे ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—जिस डाक्टर के यहां से डिमान्ड आती है उसे भेजी जाती है ।

एक माननीय सदस्य—सरकार दवाइयों का पूरा अरेन्जमेन्ट करने की व्यवस्था कब करेगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—हमेशा करती रही है। शिकायत कम-बेशी कहीं हो सकती है। पर जब होती है तो वहां दवा भिजवा दी जाती हैं।

प्रश्न संख्या ११६

जैसलमेर पोकरण यात्रा हेतु अधिक मोटर बसेज़ का प्रबन्ध करना

श्री हनवन्तसिंह—क्या यातायात मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सही है कि जैसलमेर मोटर सर्विस सिर्फ एक गाड़ी जैसलमेर से व एक गाड़ी पोकरण से रोजाना छोड़ती है।

(ख) क्या सरकार मुसाफिरों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मोटरों की तादाद में वृद्धि करायेगी ?

श्री रामनिवास मिर्धा—(क) जी हां, आवश्यकता होने पर दूसरी बस भी भेजी जाती है।

(ख) आवश्यकता होने पर रीजनल ट्रान्सपोर्ट ओथोरिटी वृद्धि कर सकती है।

श्री हनवन्तसिंह—आखिर आवश्यकता के बगैर तो कोई भी नहीं कहता।

श्री रामनिवास मिर्धा—अभी तक तो ऐसी ही जानकारी रही है कि एक बस आने और एक जाने की आवश्यकता है और इतनी ही गुंजाइश है।

श्री हनवन्तसिंह—मैं आपकी जानकारी के लिए कह दूं कि एक नहीं दो बसें आजकल आती और जाती हैं।

(हंसी)

श्री रामनिवास मिर्धा—रोज नहीं आती हैं। कभी जब मेला आदि होता है तो ही दो चलाई जाती हैं।

श्री हनवन्तसिंह—जी नहीं, ऐसा नहीं है। वह तो रूट पर बराबर रोज चलती हैं।

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—और बस पर ऊपर तीस तीस सवारियां लद लद कर जाती हैं।

श्री रामनिवास मिर्धा—ऐसी कोई शिकायत हमारे पास नहीं है ।

श्री हनवन्तसिंह—एन्क्वायरी कराइयेगा कि कितनी बसें आती जाती हैं ?

श्री रामनिवास मिर्धा—जी हां ।

श्री मानसिंह महार—आपके इन्सपैक्टर्स भी कभी बसों की जांच करते हैं या नहीं ?

श्री रामनिवास मिर्धा—जी, जरूर करते हैं ।

श्री मानसिंह महार—देखने पर भी कि ऊपर आदमी बैठे हैं, आंखें मूंद लेते हैं तो फिर क्या रिपोर्ट करेंगे?

श्री रामनिवास मिर्धा—कौन कहता है ?

श्री मानसिंह महार—मैं कहता हूं ।

श्री सन्तोषसिंह कछवाहा—ट्रान्सपोर्ट विभाग के....

श्री अध्यक्ष—Order! Order please!!

प्रश्न संख्या ११७

जल बोर्ड, जिला उदयपुर में कर्मचारियों की नियुक्ति व वहां कुए खुदना

श्री संग्रामसिंह—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) जल बोर्ड, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में कितने मुलाजिम नौकर रक्खे गये ?

(ख) उनके क्या क्या नाम हैं और उन्हें कितनी तनख्वाह मिलती है ?

(ग) कुल कितने कुए आज दिन तक खुद चुके और हर एक कुए पर कितनी रकम लग चुकी है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—(क) जिला जल बोर्ड कमेटी, उदयपुर में ४ कार्यकर्ता रक्खे गये हैं ।

(ख) उनके नाम तथा वेतन इस प्रकार हैं ।

[श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता]

१. श्री किशनलाल शर्मा मन्त्री	१५०) रुपये
२. श्री सीताराम शर्मा	१५०) रुपये
३. श्री पीरूभाई	७०) रुपये
४. श्री कोदनलाल	६०) रुपये

(ग) उदयपुर जिले में कुल स्वीकृत काम २३६ हैं जिनमें १६३ काम चालू हैं । इन कामों के लिये ६०,००० हजार रुपये दिये जा चुके हैं ।

श्री भैरूं सिंह—इन व्यक्तियों की नियुक्ति करने का अधिकार किसको है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—जल बोर्ड को।

श्री भैरूं सिंह—क्या जल बोर्ड को सरकारी सहायता मिलती है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—नहीं, तनख्वाह के लिए नहीं।

श्री भैरूं सिंह—क्या जल बोर्ड के सदस्य कलेक्टर भी होते हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—जी, होते हैं।

श्री भैरूं सिंह—जितने भी जल बोर्ड हैं और उनमें जो रक्खे गये हैं वे १५० रुपये की तनख्वाह उठाते हैं और क्या यह सही है कि वे सभी कांग्रेसी पार्टी के सदस्य हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मेरी जानकारी में नहीं है।

श्री भैरूं सिंह—क्या यह सही है कि केवल राजनैतिक आधार पर और केवल राजनैतिक फायदा और वैयक्तिक फायदा उठाने की गरज से ये नियुक्तियां की गई हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैं आपका सवाल समझा नहीं ।

श्री भैरूं सिंह—क्या यह सही है कि जलबोर्ड की नियुक्तियां जितनी भी की गईं वे सब राजनैतिक फायदा उठाने की गरज से और असन्तुष्ट लोगों को सन्तुष्ट करने की गरज से और उससे वैयक्तिक फायदा उठाने की गरज से की गई हैं?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—नहीं, ऐसा नहीं है ।।

श्री भैरूं सिंह—तो फिर क्या ऐसा सही है कि वे कांग्रेस के सक्रिय कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस के सदस्य हैं सभी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—इसमें ऐसी कोई बात नहीं है। जो सेवा भावी होता है वह ले लिया जाता है।

श्री भैरूंसिंह—सेवा भावी कोई कांग्रेसी ही हो सकता है, अन्य दूसरा कोई नहीं हो सकता ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—कोई भी हो सकता है। आप कोई और सेवाभावी बता दें, उसका भी ध्यान रक्खा जावेगा।

श्री भैरूंसिंह—जिनको डेढ़ सो रुपये की तनख्वाह दें उसमें क्या अधिक सेवाभावी होने वाले को ही इतनी तनख्वाह देते हैं; जिसके लिए कांग्रेस के आदमी कहें कि हम ज्यादा सेवा भावी हैं, हमें ज्यादा तनख्वाह दो ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—नहीं, ऐसी बात नहीं है।

श्री भैरूंसिंह—क्या ये नियुक्तियां राजस्थान सरकार के मन्त्रियों को सलाह से की गई हैं जो कि कई जगह राजस्थान जल बोर्ड के सदस्य भी हैं। जहां जहां वे सदस्य हैं वहां के लिए भी क्या उनसे नियुक्तियों में परामर्श लिया गया है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—जी नहीं, ऐसी बात नहीं हुई।

श्री वेदपाल त्यागी—इनकी नियुक्ति के लिए कोई एप्लीकेशन्स इन्वाइट की गई थीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—वह तो जल बोर्ड ने जगह जगह कई कमेटियां बनाई हैं उनको पूछकर ही इनकी नियुक्तियां की जाती रही हैं।

श्री वेदपाल त्यागी—सेवाभावी कार्यकर्ता को ढूढ़ने के लिए क्या कोई एडवर्टाइज़मेंट किया गया था या उनकी एप्लीकेशन्स मांगी गई थीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—यह सब को मालूम है कि कौन कौन काम करने वाले हैं।

श्री भैरूंसिंह—क्या माननीय मन्त्री महोदय को मालूम है कि सरकार ने ऐसा आश्वासन दिया था कि जल बोर्ड का सारा काम पंचायतें करेंगी, तो उनकी नियुक्ति का काम भी पंचायत विभाग को क्यों नहीं दिया गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—जब रकम ही सरकार द्वारा नहीं दी जाती है, जल बोर्ड खुद देता है तो यह सदन के जुरिस्डिक्शन में नहीं है कि यहां क्वेश्चन उठाये जांय।

Page No.21

श्री वेदपाल त्यागी—क्या आपको मालूम है कि सहायता यहां से दी जाती है ?

श्री किशनलाल शाह—तनख्वाह जो दी जाती है वह सरकार से जो रकम मुकर्रर की है उसमें से दी जाती है या अलग फन्ड से दी जाती है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—जल बोर्ड ने जितना भी खर्च किया है वह अपने चन्दे से किया है। सरकार से जो सहायता देते हैं तो वे एक एक पैसा हर एक जगह लगा देते हैं। जल बोर्ड को कोई पैसा नहीं दिया गया है।

श्री भैरूं सिंह—जल बोर्ड को राजस्थान से नहीं तो क्या भारत सरकार से सहायतार्थ कुछ रकम दी जाती है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने कई बार इन्कार किया है कि नहीं दी जाती है।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि नौकर रखने के लिए सहायता दी जाती है या जल बोर्ड को सरकार की ओर से सहायता दी जाती है।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने मना कर दिया।

श्री भैरूं सिंह—भारत सरकार से भी नहीं दी जाती है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने पहले ही इन्कार कर दिया कि नहीं दी जाती है।

प्रश्न संख्या ११८

जिला जैसलमेर में मलेरिया के प्रकोप पर डॉक्टर का स्थानान्तर

श्री हनवन्तसिंह—क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सच है कि जिला जैसलमेर में इस साल मलेरिया का भारी प्रकोप होते हुए भी स्थानीय डॉक्टर का तबादला कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(ख) क्या यह भी सही है कि जैसलमेर जिले में सिर्फ दो डॉक्टर हैं।

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मन्त्री)—जी हां, डॉक्टर का कुछ प्रशासकीय कारणों से तबादला अवश्य किया गया पर उसके चार्ज देने के पहिले वहां एक दूसरा योग्य डॉक्टर भेज दिया गया था।

(ख) जी हां।

श्री **हनवन्तसिंह**—वह डॉक्टर परबतसर में बैठे हुए हैं, पहुंचे ही नहीं हैं।

श्री **भैरूंसिंह**—क्या उनको भी मलेरिया हो गया था ?

श्री **बद्रीप्रसाद गुप्ता**—डॉक्टर रामसिंह का चार्ज ले लिया है, उसके बाद रिलीव किया गया है।

श्री **हनवन्तसिंह**—डॉक्टर साहब का तबादला ६ महीने के अन्दर हो गया है या ६ महीने रहे हैं वहां ?

श्री **बद्रीप्रसाद गुप्ता**—पहले वे वहां मार्च ५५ में थे और तबादला ६ महीने के अन्दर २ हुआ है। कलेक्टर ने लिखा था तबादले के लिये।

कुं० श्री **जसवन्तसिंह**—क्या जैसलमेर ही एक ऐसा जिला है जहां के लिए सब से कम डॉक्टर हैं जैसा कि इसमें दो हीं लिखा है ?

श्री **बद्रीप्रसाद गुप्ता**—शायद मेरे खयाल से।

श्री **हिम्मतसिंह**—क्या यह सही है जैसलमेर का नाम सुनते ही डॉक्टरों को युरेस्थेनिया हो जाता है ?

प्रश्न संख्या ११६

कस्बा तारानगर जिला चूरू में महिलाओं के लिये सुरक्षित बेड्स

श्री **प्रभुदयाल**—क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) कस्बा तारानगर, जिला चुरू में स्त्रियों के लिए इनडोर वार्ड में कितने बेड्स सुरक्षित हैं ?

(ख) अगर नहीं, तो क्यों ?

(ग) आउटडोअर वार्ड के लिए क्या २ और किस २ रूप में व्यवस्था है ?

(घ) क्या यह सही है कि नर्स के लिए वहां कोई क्वार्टर की व्यवस्था नहीं है ?

(ङ) अगर हां, तो क्यों ?

Page No.23

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—(क) कोई बिस्तर सुरक्षित नहीं है।

(ख) अस्पताल में केवल ४ बेड्स हैं, इसलिये पुरुष या महिलाओं के लिये बेड्स सुरक्षित होने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) आउटडोर बीमारों की परीक्षा के लिये एक कमरा है जो डॉक्टर के कन्सल्टिंग कमरे के साथ में है।

(घ) अस्पताल में एक क्वार्टर है जिसमें नर्स रहती है।

(ङ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री प्रभुदयाल—क्या वहां औरतें बीमार नहीं पड़ती हैं।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री हनवन्तसिंह।

प्रश्न संख्या १२०

जिला जैसलमेर में तहसीलवार डिस्पेन्सरियां खोलना

श्री हनवन्तसिंह—क्या स्वास्थ्य मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) जिला जैसलमेर में कुल कितनी डिस्पेन्सरीज़ हैं ?

(ख) क्या सरकार वहां की हर तहसील में एक एक डिस्पेन्सरी खोलेगी ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वास्थ्य मन्त्री)—(क) दो।

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में इस प्रकार की व्यवस्था हो जाने की आशा है।

श्री मोहब्बतसिंह—क्या जैसलमेर में फीमेल डिस्पेन्सरी भी है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—दो हैं वहां पर।

श्री हनवन्तसिंह—दो से ज्यादा बढ़ाने की कोई उम्मीद क्या नहीं रखी जाय ? क्या आप वहां पर उससे ज्यादा बढ़ायेंगे नहीं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—हरएक तहसील में डिस्पेन्सरी खोलने की व्यवस्था पंचवर्षीय योजना में विचारार्थ है।

Page No.24

प्रश्न संख्या १२१

सादुल वेलफेयर फण्ड कमेटी के सदस्यों की कार्यवाहियें

श्री प्रभुदयाल—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) सादुल वेलफेयर फंड कमेटी में कितने सदस्य हैं और उनके क्या नाम हैं ।

(ख) कमेटी की मीटिंग का कोरम क्या है ?

(ग) क्या किसी १ या २ सदस्य को इस प्रकार से कोई विशेष अधिकार प्राप्त हैं जिससे कि वह कमेटी के नाम से लाखों रुपये अपनी पसन्द की जगहों के लिए मन्जूर कर ले ?

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार गत १७ सितम्बर ५५ को हुई मीटिंग को, जिसमें कमिश्नर समेत तीन सदस्य थे वैधानिक मानती है ?

(ङ) यदि हां, तो कैसे ? यदि नहीं तो सरकार उस मीटिंग के निर्णयों के बारे में क्या विचार कर रही है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मन्त्री)—अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न का सम्बन्ध स्वायत शासन विभाग से नहीं है ।

श्री प्रभुदयाल—जिस विभाग से सम्बन्ध है वहां यह प्रश्न क्यों नहीं भेजा गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—आपने क्यों नहीं दिया ?

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट, श्री हनवन्तसिंह ।

प्रश्न संख्या १२२

जिला जैसलमेर में जल बोर्ड द्वारा कराये गये कार्य

श्री हनवन्तसिंह—क्या स्वायत्त शासन मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(क) जिला जैसलमेर में जल बोर्ड द्वारा कहां कहां क्या क्या कार्य कराये गये व अब तक कुल कितनी रकम खर्च हुई ?

(ख) कितने कुए व टांके अब तक बनाये गये हैं ?

Page No.25

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (स्वायत्त शासन मंत्री)—जिला जैसलमेर के कार्यों की तहसील वाइज़ सूची इस प्रकार है:

तहसील पोकरण	३४,६५०) रु०
तहसील जैसलमेर	४,५००) रु०
तहसील फतेहगढ़	६,०००) रु०
तहसील रामगढ़	१,५००) रु०
तहसील नछाना	४५०) रु०

(ख) गांव के नाम तैयार नहीं हैं।

श्री भैरू सिंह—इन रुपयों का वितरण किस आधार पर किया गया ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—आवश्यकतानुसार।

श्री भैरू सिंह—क्या यह सही है कि और तहसीलों में सब जगह जनसंख्या के आधार पर रुपयों का वितरण होता है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—ऐसा नहीं है। जनता की आवश्यकता के अनुसार होता है, जनसंख्या भी देखी जाती है लेकिन जहां पानी की दिक्कत नहीं है वहां पर रुपया कम दिया जाता है।

श्री भैरू सिंह—क्या यह सही है कि रुपया निर्धारित करने के बाद जनता से एप्लीकेशन ली जाती है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—नहीं, ऐसा नहीं है। पहले एप्लीकेशन ली जाती है फिर किया जाता है।

श्री हनवन्तसिंह—तहसील पोकरण में १,५०,००० रुपया खर्च किया जाता है और दूसरी तहसीलों में ६००० रुपये खर्च होने के क्या कारण हैं ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—मैंने कहा कि वहां उतनी ही आवश्यकता होगी।

श्री हनवन्तसिंह—मैं अर्ज कर रहा हूं कि रामगढ़ और फतेहगढ़ में जहां पानी की बहुत कमी है वहां तो ६ हजार रुपये और जहां पानी ज्यादा है वहां १,५०,००० खर्च किये गये हैं इसका क्या कारण है ?

श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता—जैसा कि आपने बताया वह ठीक है लेकिन आवश्यकता के अनुसार दिया जाता है। इस प्रकार की व्यवस्था है।

श्री भोपालसिंह—क्या यह सही है कि जहां आवश्यकता होती है वहां खर्च नहीं किया जाता है और जहां आवश्यकता नहीं होती है वहां खर्च किया जाता है ?

(समय-समाप्ति सूचक घण्टी)

श्री अध्यक्ष—The Questions are over.

राजस्थान नौकानयन नियमन विधेयक, १९५५ (पुरःस्थापन)

श्री रामनिवास मिर्धा (सिंचाई मन्त्री)—अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान नौकानयन नियमन विधेयक, १९५५, को पुरःस्थापित करने की आज्ञा के लिये प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है कि उक्त विधेयक को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

श्री रामनिवास मिर्धा—मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

राजस्थान मोटर स्पिरिट बिक्रीकर (संशोधन) विधेयक, १९५५ विचारार्थ एवं पारित

श्री अध्यक्ष—श्री अमृतलाल यादव।

श्री अमृतलाल यादव (पृथक राजस्व-मन्त्री)—माननीय अध्यक्ष, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान मोटर स्पिरिट बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, १९५५, को विचारार्थ लिया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि राजस्थान सेल्स आफ मोटर स्प्रिट टेक्सेशन एक्ट, १९५४ (राजस्थान एक्ट नं० ६ ऑफ १९५४) को एत् पश्चात् प्रकट किये गए ढंग से संशोधित करने के विधेयक को विचारार्थ लिया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

(विराम)

श्री अमृतलाल यादव—माननीय अध्यक्ष, मैं निवेदन करता हूँ कि अब विधेयक को पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि राजस्थान सेल्स आफ मोटर स्पिरिट टैक्सेशन (एमेंडमेंट) बिल, १९५५, को पास किया जाय।

(स्वीकृत)

विधेयक पास किया गया।

राजस्थान भू-राजस्व विधेयक, १९५४ (अग्रेतर खण्डशः विचार-विमर्श)

श्री अध्यक्ष—Further eonsideration on the Rajasthan Land Revenue Bill, 1954.

श्री जसवन्तसिंह—(संबंधित मन्त्री महोदय की अनुपस्थित में) The Bill has lapsed, Sir. The Minister is not there. (श्री राजस्व मन्त्री के पदार्पण पर) वह खत्म हो गया। आप थे नहीं मौजूद। वह आज नहीं लिया जा सकता है।

श्री अध्यक्ष—Better late than never.

श्री दामोदरलाल व्यास—कौन सी क्लॉज़ लें, ८१ ?

श्री अध्यक्ष—८१, १३७ ए, १३८ बी....

श्री मानसिंह महार—१४६ चल रही थी, मैं बोल रहा था।

श्री अध्यक्ष—yes. 146. आप बोलिये।

श्री मानसिंह महार—माननीय अध्यक्ष, राजस्थान लेन्ड रेवेन्यु बिल के क्लॉज़ १४६ के ऊपर माननीय मन्त्रीजी ने एक बहुत ही छोटा सा संशोधन रखा है। वह संशोधन यह है कि इसकी दूसरी लाइन में जहां 'शेल' शब्द का प्रयोग किया गया है वहां पर 'मे' कर दिया जाय। यह छोटे से शब्द का हेर फेर दिखता है किन्तु सदन, अध्यक्ष महोदय, यदि इस हेरफेर को मंजूर कर लेगा तो यह एक बड़ा ही खतरनाक मामला पैदा हो जायगा।

इस क्लॉज़ से सरकार पर जरूरी हो गया है कि उसको अगर रिसेटलमेंट कराना हो तो उसके लिये पहले से फोरकास्ट करे और पहले इस बात की तैयारी करे कि किन किन कारणों से उसको रीसेटलमेंट कराने की आवश्यकता पड़ गई है। "शैल" की जगह "मे" कर देंगे तो राजस्थान सरकार जहां चाहेगी वहां तो इस प्रकार की कार्यवाही करेगी और जिन जगहों पर सरकार को जल्दबाजी में कार्यवाही करनी होगी वहां वह इस प्रकार की कार्यवाही नहीं करेगी। इसलिये हम यह चाहते हैं

Page No.28

[श्री मानसिंह महार]

कि यहां "शैल" शब्द जो है बड़ी ही सूझ-बूझ से रखा गया है, उसकी जगह "मे" शब्द नहीं किया जाय। यह कर दिया जायगा तो क्लॉज़ १४६ का जो महत्व है वह करीब करीब खत्म हो जायगा। इसलिये मैं अध्यक्ष महोदय, माननीय मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि उन्होंने जो संशोधन रखा है उसको वापिस ले लें और यह क्लॉज़ जिस सुन्दरता से ओरिजिनल बिल में है वैसा का वैसा पास करने की कृपा करें।

माननीय अध्यक्ष, यह जो अमेंडमेंट रखा है, जो माननीय मन्त्री महोदय की ओर से रखा गया है, मैं उसका विरोध करने के लिये खड़ा हुआ हूँ और इसलिये खड़ा हुआ हूँ कि सेटलमेंट की एक सेंक्टिटी (sanctity) होती है कि एक दफा जो एरिया सेटल हो जाता है, उसमें बिना किसी कारण के हेर फेर करना उस सेटलमेंट की सेंक्टिटी को रिमूव करना है। सेटलमेंट से लोगों के हकूक होते हैं और लाएबिलिटीज़ होती हैं, इसलिये "शैल" शब्द रहना जरूरी है अन्यथा गवर्नमेंट को ऐसे पॉवर रहेंगे कि जब भी चाहेगी, चाहे उसका कन्सीडरेशन बोनाफाइड हो, या मेलाफाइड हो, रीसेटलमेंट करेगी। "शैल" होने से रीसेटलमेंट करने से पहले गवर्नमेंट के ऊपर यह जिम्मेदारी रहेगी कि वह उन वजूहतों को फोरकास्ट करे कि किन किन कारणों से वह रीसेटलमेंट कराना चाहती है। जब तक ये आंकड़े नहीं हों, गवर्नमेंट पूरे वजूहात नहीं बता सके तब तक रीसेटलमेंट कराने के गवर्नमेंट को पॉवर नहीं देने चाहिये।

यद्यपि अमेंडमेंट छोटासा है और 'शैल' की जगह पर 'मे' शब्द रखना है पर इससे गवर्नमेंट को वाइड पॉवर्स देदी जाती हैं। इस अमेंडमेंट को स्वीकार करने से जहां पर सेटलमेंट हो गया है वहां पर गवर्नमेंट पोलिटिकल कारणों से, पोलिटिकल कन्सीडरेशन के आधार पर रीसेटलमेंट करा सकती है, हेरफेर करा सकती है, इससे सेटलमेंट की संक्टिटी को धक्का पहुँचता है। २० साल तक हमारा लगान कायम हो गया है तो उसमें कोई वजूहात नहीं बताये जांय कि किन किन कारणों से रीसेटलमेंट करना आवश्यक हो गया है, अमुक दर घट गई है या बढ़ गई है, इसलिये रीसेटलमेंट करना अनिवार्य हो गया है। ऐसी सूरत में जब कि गवर्नमेंट यह नहीं बता दे तब तक रीसेटलमेंट करने का अधिकार नहीं देना चाहिये क्योंकि वैसे ही २० साल बाद तो रीसेटलमेंट करना जरूरी है ही। इससे पहले बिना किसी खास वजह के रीसेटलमेंट करने से सेटलमेंट की सेंक्टिटी में फरक आता है। तो सरकार पर यह जिम्मेदारी होनी चाहिये कि ऐसी कौनसी वजह पैदा हो गई है कि जिससे रीसेटलमेंट कराना जरूरी हो गया है।

इसलिये मैं यह निवेदन करूंगा कि "शैल" ही रखा जाय, "मे" नहीं रखा जाय।

भैरूंसिंह (दांता रामगढ़)—माननीय अध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ १४६ में राजस्व मन्त्रीजी की ओर से जो संशोधन आया है वह है तो केवल एक ही शब्द के हेरफेर का लेकिन इसका मतलब ही भिन्न भिन्न प्रकार से निकलता है और निकलने की संभावना भी है। माननीय अध्यक्ष,

[श्री भैंरूसिंह]

जैसा कि अभी मुझ से पूर्व वक्ता ने बताया कि सेटलमेंट का मूल सिद्धान्त यह होता है कि काश्तकारों के हृदय में उनके खेतों और खेती के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की अनिश्चितता न रहे। वे जिस जमीन पर खेती करते हैं उसके सम्बन्ध में बिल्कुल निश्चित रहें कि इसके ऊपर भविष्य में भी हमारा अपना अधिकार रहने वाला है। वे पैदावार के बारे में भी निश्चिंत रहें कि जो लगान हमारे ऊपर निर्धारित किया गया है वह लगान भी उसी प्रकार से रहेगा। वे इस बात से निश्चिंत रहें कि जिस जमीन पर वे तरक्की करते हैं, उस जमीन का लाभ उन्हीं को मिलता रहेगा। उन्हें इस बात की भी निश्चिंत रहे कि हम इस भूमि के बारे में जितना लाभ जिस प्रकार से उठा सकते हैं उतना लाभ उठायेंगे। इन सारी बातों को लेकर सरकार के लिये आवश्यक होता है कि भूमि की पैमायश करने पर लगान निर्धारित करे और राजस्व संबन्धी कानून भी बना कर उनके अधिकारों की रक्षा करे।

परन्तु इस संशोधन के अनुसार सरकार सारे अधिकार रीसेटलमेंट कराने के बारे में अपने हाथ में रखना चाहती है। 'शैल' शब्द के लगे रहने से सरकार जहां भी रीसेटलमेंट करवाना उचित समझती है तो वहां इस बात को फोरकास्ट करे कि किन किन वजूहात के कारण वह वहां रीसेटलमेंट कराना चाहती है। यह जो संशोधन रखा गया है इसके आधार पर सरकार जहां कहीं सेटलमेंट करवाना चाहे वहां उसके मोटिव्ज़ कुछ और हैं, दिमाग में कोई दूसरी ही चीज काम कर है तो वहां वह फोरकास्ट डिक्लेअर कर सकती है, लेकिन जिस जगह सरकार की इच्छा होगी वहां के लोगों को इस बात की सूचना देगी कि तुम्हारे यहां इन इन कारणों से रीसेटलमेंट करवाना आवश्यक है, इसलिये रीसेटलमेंट कराया जायगा और जिस जगह किन्हीं कारणों से सरकार की यह इच्छा होगी कि वहां के लोगों को इस प्रकार की सूचना न दी जाय क्योंकि जिन वजूहात पर सरकार वहां रीसेटलमेंट करवाना चाहती है, उन वजूहात को वहां के रहने वाले गलत समझते हैं और सरकार को यह डर हो कि वहां के लोग इसके खिलाफ प्रतिनिधित्व करेंगे कि उनके यहां रीसेटलमेंट नहीं होना चाहिये तो वहां सरकार इस संशोधन के हो जाने के कारण इन वजूहात को फोरकास्ट नहीं करेगी और यों ही रीसेटलमेंट करवा सकती है। वहां के लोग इस बात की माग न कर सकें कि हमारे यहां रीसेटलमेंट की आवश्यकता नहीं है। इस गरज से सरकार पर जो वजूहात पहले फोरकास्ट करने की पाबन्दी गलत हुई है उसको सरकार इस संशोधन के जरिये रिमूव करना चाहती है। आज जो धारा है उससे सरकार पर पाबन्दी है। रीसेटलमेंट कराने से पहले सरकार को उसके लिये वजूहात को फोरकास्ट करना पड़ेगा और ज्यों ही यह संशोधन स्वीकार हुआ कि फिर उचित-अनुचित का सवाल नहीं, सब कुछ सरकार की इच्छा पर निर्भर होगा। वह इच्छा दूसरे ढंग की भी हो सकती है।

क्लॉज़ १४४ को देखेंगे तो पता चलेगा कि सरकार ने कुछ आधार माने हैं, उनमें इस चीज को स्वीकार किया गया है कि जिस जगह जमीन की पैदावार, फर्टिलिटी कम हो गई हो

Page No.30

[श्री भैरूसिंह]

बाढ़ के कारणों से या वर्षा के कारण से, भूमि की पैदावार की मात्रा कम हो गई हो या भूमि भी कम हो गई हो, जहां इन कारणों से या और कारणों से पैदावार में डिक्रीज़ हो गई हो वहां रीसेटलमेंट कराया जा सकता है। इसके आगे सरकार ने शब्द लगाये हैं कि जहां पैदावार बढ़ती है तो उस जगह भी वह चाहे तो रीसेटलमेंट करवा सकती है।

इसलिए मेरा यह निवेदन है कि हमें सेटलमेंट इस प्रकार से करना है जिससे काश्तकारों में विश्वास बनाया जावे कि जो कुछ हम कर्म कर रहे हैं उससे किसानों पर सरकार विशेष रूप से कोई ज्यादा लगान नहीं लगावेगी। अगर किसानों को यह मालूम होगा कि सरकार उनकी जमीन पर ज्यादा लगान लगावेगी तो वे उस जमीन पर ज्यादा महनत नहीं करेंगे और उसको ज्यादा फरटाइल नहीं बनावेंगे क्योंकि एक तरफ हम यह कहते हैं कि भूमि में पैदावार की मात्रा बढ़ाई जावे। जब हम यह कहते हैं कि पैदावार की मात्रा बढ़ाई जावे तो आपको उन किसानों को यह विश्वास दिलाना होगा कि उन पर ज्यादा लगान नहीं बढ़ाया जावेगा, काश्तकार जिस जमीन की पैदावार कम है उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा और जब पैदावार बढ़ जावेगी तो आप यह कह कर कि अब रीसेटलमेंट करना जरूरी है, रीसेटलमेंट शुरू कर दें तो इससे काश्तकारको बहुत नुकसान होगा इसलिये फोरकास्ट करना बहुत जरूरी है कि इन इन कारणों से हम रीसेटलमेंट करा रहे हैं जिससे काश्तकार को मालूम हो जावे की इन कारणों से यह रीसेटलमेंट हो रहा है। इसलिये यह आवश्यक होता है कि 'मे' शब्द को न ले कर 'शैल' जो एक प्रकार से सरकार पर अंकुश सा है बनाया रखें तो इसका दुरुपयोग नहीं होगा। इतना ही कहकर मैं माननीय राजस्व मंत्री से निवेदन करूंगा कि जिस सिलेक्ट कमेटी ने इस 'शैल' शब्द को रखा है, उस सिलेक्ट कमेटी के आप भी सदस्य थे, उस राय में आप भी शामिल थे। अब एक दो महीने के बाद इस प्रकार का चेन्ज कैसे आ गया, यह मेरी समझ में नहीं आता। अतः यह 'शैल' शब्द जिस प्रकार इस क्लॉज़ में है रहने दिया जावे।

श्री श्यामलाल गोयल—माननीय अध्यक्ष, जो शब्द 'शैल' रखने के बारे में अभी माननीय सदस्य ने कहा है मैं उसका विरोध करता हूँ और 'शैल' की जगह 'मे' (may) शब्द रखने का मैं समर्थन करता हूँ और जो ओपोजिशन 'शैल', के बजाय 'मे' (may)के कारण हो रहा है वह सिर्फ मिसअन्डरस्टेंडिंग से हो रहा है। फोरकास्ट करने के लिए यह मानना पड़ेगा कि सरकार का काफी खर्च होता है और अगर ऐसी स्थिति आ जावे कि बगैर फोरकास्ट के ही सरकार इस निश्चय पर पहुँच जावे कि हमें रीसेटलमेंट करना है तो ऐसी सूरत में फोरकास्ट की जरूरत नहीं रहती। इसके साथ में १४७ धारा साथ में है; उसमें बताया गया है कि किन किन सूरतों में रीसेटलमेंट कराया जावेगा और वह किस वक्त कराया जावेगा।

इसमें पहले तो यह बताया गया है कि सेटलमेंट की मयाद खतम होने जा रही है उस वक्त दुबारा रीसेटलमेंट का प्रश्न पैदा होगा। उसके अलावा यह भी बताया गया है :

[श्री श्यामलाल गोयल]

"Provided that an increase of revenue which will recoup the expenditure on re-settlemeut in ten years shall ordinarily be deemed to be reasonable."

यह सब लिमिटेशन्स इसमें दिये हुए हैं, जिनके माफिक रीसेटलमेंट होगा। अगर सरकार बिला फोरकास्ट के ही इस नतीजे पर पहुँच जाती है कि रीसेटलमेंट करना बहुत जरूरी है तो मैं समझता हूँ कि इसकी जरूरत नहीं है। मैं इसके लिए आपको एक मिसाल देता हूं। जब रीसेटलमेंट का समय आवे उस समय लेन्ड रेट बहुत ज्यादा हो जाती है, उसमें फोरकास्ट करने की क्या जरूरत है? जो रेन्ट रेट है उसको कम करना चाहिए। अगर उस समय फोरकास्ट करते हैं तो खर्च फिजूल होगा। इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा कि 'शेल' के बजाय 'मे' होना चाहिये। मैं यह कहूंगा कि यह अोपोजिशन सिर्फ भ्रम की वजह से है। कानून में साफ है कि सेटलमेंट करने से पहले फोरकास्ट करवायें। इसलिए माननीय राजस्व मन्त्रीजी ने जो एमेंडमेंट पेश किया है उसको मंजूर किया जाना चाहिये।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री)—माननीय अध्यक्ष, अभी जो बहस हो रही है उसमें मैं समझता हूं कि थोड़ी सी गलतफहमी रह गई है। शायद माननीय सदस्य समझते हैं कि इस एमेंडमेंट से यह मतलब हो गया कि चाहे जब सरकार रीसेटलमेंट करा देगी और इससे काश्तकारों को जो एन्करेजमेंट इम्प्रूवमेंट में मिलना चाहिये अपनी जमीन के लिए नहीं मिलेगा और इससे लोगों को यह यकीन नहीं रहेगा कि जो लगान सरकार ने लागू किया है वह रहेगा या नहीं। इसमें ऐसी बात नहीं है। यह एक छोटा सा एमेंडमेंट है और राजस्थान की स्थिति जैसी है वह तो आपसे छुपी नहीं है, किस तरह डिफ्रेन्ट युनिटों में लगान कायम है और यह भी साफ है कि रोजमर्रा का तजुर्बा है कि लगान की दर कहीं ठीक है और कहीं ठीक नहीं है। इसको ठीक करने के लिए यदि फोरकास्ट किया जावेगा तो बहुत समय लगता है और काफी खर्च भी लगेगा जैसा अभी श्री श्यामलालजी गोयल ने बताया। 'मे' (may) से मतलब यह नहीं कि यह नहीं होगा। लेकिन जब सरकार को यह मालूम है कि उन कारणों से जो धारा १४७ में दिये गये हैं 'रिसेटलमेंट करना जरूरी है तो बगैर फारकोस्ट के ही वे कारण जब सरकार के सामने हैं तो इसमें क्या हर्ज है, अगर सरकार वहां पर बगैर फोरकास्ट के रीसेटलमेंट जारी करे?

मैं यह कहूंगा कि फोरकास्ट इसलिए कराया जाता है कि क्लॉज़ १४७ में दिए हुए ग्राउन्ड्स एग्ज़िस्ट करते हैं या नहीं और जब सरकार यह अच्छी तरह से जानती है कि वे ग्राउन्ड्स एग्ज़िस्ट करते हैं तो कोई वजह नहीं कि सरकार वहां पर बगैर फोकास्ट के रीसेटलमेंट क्यों नहीं करावे।

दूसरी बात यह है कि सरकार जब चाहे सेटलमेंट करा देगी। इसके लिए मैं माननीय सदस्य का ध्यान क्लॉज़ ११६ की तरफ आकर्षित कर देना चाहता हूं जिसमें साफ दर्ज है कि एग्जिस्टिंग सेटलमेंट का समय खत्म हो रहा हो। यह नहीं कि जब चाहे जब रीसेटलमेंट करादे।

[श्री श्यामलाल गोयल]

"when the period for which the land revenue of a district or other local area has been settled is about to expire," 'about to expire' words are very clear.

इसमें इस बात की कहीं गुन्जायश नहीं है। इसलिए कोई शंका और शुबह की आवश्यकता नहीं है कि जब चाहेगी सरकार रीसेटलमेंट शुरू कर देगी। 'मे' (may) शब्द के जोड़ने से यह होगा कि सरकार को सहूलियत के साथ और खर्चा कम करने के लिए and that too always in the interest of the public and cultivators रीसेटलमेंट का हक रहेगा।

यह चीज नहीं कि किसानों के दिमाग में यह भावना पैदा कर दी जावे कि चाहे जब लगान बढ़ाने को सरकार तैयार हो जाती है। मैं यह निवेदन करूंगा कि ज्यादातर यह प्रोविजन लगान घटाने के लिए काम में लिया जावेगा। बहुत से इलाकों में इतना लगान बढ़ा हुआ है और प्राइमाफेसी मालूम है कि लगान ज्यादा है और उसके रीसेटलमेंट के लिए आज्ञा जारी कर सकते हैं इसमें समय बचेगा। जहां इस तरह की स्थिति होगी वहां पर ऑर्डर जारी कर दिये जावेंगे वरना ओर्डिनरी कोर्स में फोरकास्ट किया जावेगा। मैं समझता हूं कि मैंने काफी साफ कर दिया है। यह एमेंडमेंट बिल्कुल स्वीकार होने योग्य है और इसको स्वीकार किया जाय।

श्री अध्यक्ष—श्री हिम्मतसिंह।

श्री दामोदरलाल व्यास—The amendment was mine, Sir. You (Shri Himmatsingh) did not move, I think.

श्री अध्यक्ष—He did move.

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १४६ पर जो संशोधन श्री हिम्मतसिंहजी ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

एमेन्डमेन्ट गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह कि क्लॉज़ १४६ पर दूसरा संशोधन श्री दामोदरजी व्यास ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय ?

[श्री अध्यक्ष]

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह कि क्लॉज़ १४६, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १४६, संशोधित रूप में, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ १४७, श्री भैरूंसिंह।

श्री भैरूंसिंह (१६)—माननीय अध्यक्ष, मेरा संशोधन यह है कि क्लॉज़ १४७ को लोप कर दिया जाय।

माननीय अध्यक्ष, अभी अभी क्लॉज़ १४६ का उत्तर देते हुए माननीय राजस्व मन्त्रीजी ने व उनसे पहले बोलने वाले माननीय सदस्य ने केवल एक गलतफहमी कह कर क्लॉज़ १४६ को पारित करने का सदन से अनुरोध किया था। मैं समझता हूं कि हो सकता है कि वह गलतफहमी किसी भी ओर है लेकिन है वास्तव में गलतफहमी। उस गलतफहमी को धारा १४७ पर भी इम्पोज करना है। धारा १४७ में मोटी मोटी पांच बातें रखी हैं और जिन पांच बातों के आधार पर सरकार रीसेटलमेंट करा सकती है। मैंने पहले जैसा निवेदन किया था कि जहां लगान में वृद्धि करने की सरकार को आवश्यकता हो और इस कारण से आवश्यकता हो कि उस फोरकास्ट में इस बात का उल्लेख होगा जैसा कि उसके पार्ट (१) में रखा गया है ;

(1) "Whether a reasonable increase or decrease of revenve is likely to result;" इसका मतलब फोरकास्ट इस आधार पर भी हो सकता है, रिसेटलमेंट इस आधार पर भी हो सकता है कि रेवेन्यू में किसी प्रकार की कमी हो, रेवेन्यू में किसी प्रकार की वृद्धि होने की संभावना हो। तो मैंने जैसा निवेदन किया था इससे पूर्व कि हमें काश्तकारों के हृदय में स्थायी तौर पर विश्वास पैदा करना है कि जहां तक सेटलमेंट हो रहा है जितने वर्ष तक के लिए सेटलमेंट है और रेट्स निर्धारित कर दी गई हैं उनकी जमीनों के लिए, उनके हकूकों के आधार पर तो वे जमीनों में चाहे जितनी तरक्की कर सकते हैं और उस तरक्की से उनको जितना फायदा होगा वह उनको मिलेगा।

[श्री भैरोंसिंह]

अगर उस तरक्की से सरकार किसी प्रकार का फायदा उठाये यह भय रहा तो लोगों को जमीन की तरक्की करने और उपज बढ़ाने के लिए सरकार जो उनको तकसाती है अथवा आर्थिक सहायता देती है वे सारी चीजें ठप्प रहेंगी और उनमें बराबर भय रहेगा कि क्यों वे तरक्की बढ़ावें, पैदावार बढ़ावें। तो अल्टीमेटली रिजल्ट होगा कि भूमि की सिंचाई, उसमें जोत वगैरह के साधन से उसकी उपज बढ़ाने की वे किसी प्रकार की कोशिश नहीं करेंगे, वे कोशिश नहीं करेंगे कि पैदावार बढ़े और इस चीज को रोकने की एक ही तरकीब हो सकती है कि सरकार इस पार्ट में जो 'इन्क्रीज़' शब्द है उसको हटा दे। इससे उनको जो दूसरी दिशा का भय रहता है वह हट जावेगा। दूसरा भय का कारण काश्तकार को हो सकता है जो यह है कि प्राकृतिक कारणों से या अन्य कारणों से भूमि की पैदावार कम हो जाती है तो उस बात के लिये काश्तकार के विश्वास के लिए ऐसा कानून होना चाहिए कि जिससे काश्तकार के लगान में कमी हुई है। भूमि की उपजाऊ शक्ति चली जाती है प्राकृतिक कारणों से या और किसी अन्य कारण से तो यदि आप उसको यह विश्वास देंगे तो काश्तकार निश्चित रूप से ज्यादा पैदावार, ज्यादा उपज का ढंग अपनायेगा और उसको कार्यरूप में परिणत करेगा लेकिन अगर पहले से ही यह भय उसके मस्तिष्क में डाल दिया जाय कि अगर वह जमीन की तरक्की करेगा, पैदावार बढ़ायेगा तो उस हालत में उसका लगान भी बढ़ा दिया जायगा, इससे तो काश्तकार में उत्साह पैदा नहीं होगा, उस जमीन की तरक्की के लिए, उस जमीन की पैदावार बढ़ाने के लिए। वह सोचेगा कि लगान ज्यादा बढ़ेगा यदि वह उसकी पैदावार बढ़ायेगा तो। अतः आज इस कानून में इस 'इन्क्रीज़' शब्द की आवश्यकता नहीं है। उसकी बढ़ी हुई पैदावार और उसके इस प्रकार के साधनों में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। यदि अन्य कारणों से, नहर के कारण से, कुए खुदवाये और उनसे पैदावार बढ़ाता है तो सरकार को अधिकार है और जैसा कि गंगानगर आदि दूसरे एरिया में सरकार बेटरमेंट चार्जेज़ वसूल करती है तो कर सकती है, दूसरे ढंग के साधनों से पैदावार बढ़ाने की जहां बात है वह बात दूसरी है, सरकार उसके लिए अधिक रेवेन्यू वसूल करे, लेकिन कानून बनाते वक्त उसके मस्तिष्क में यह भय पैदा कर दे कि चूंकि उसने पैदावार बढ़ाई है इसलिए लगान बढ़ जायगा, उचित प्रतीत नहीं होता है।

दूसर उसमें यह है, 'Whether, in case there is a prospect of such an increase, there are satisfactory reasons for postponing re-settlement;" अब इसका सम्बन्ध आता है फोरकास्ट को पोस्टपोन करने से। यदि सरकार के सामने केवल एक चीज है कि लगान बढ़ाना, लगान बढ़ाने की सूचना दी, जनता को सूचना दी की लगान बढ़ने वाला है और पोस्टपोन करने का कोई कारण नहीं है और इसलिए लगान बढ़ाना चाहती है, और इसीलिए 'मे' और 'शैल' में गलतफहमी पैदा कर कह दिया कि गलतफहमी है। सरकार डरती क्यों है, क्यों नहीं साफ साफ कह देती है कि तुम्हारी इतनी पैदावार बढ़ गई है इसलिए लगान बढ़ावेंगे, वह इस प्रकार खुले आम क्यों नहीं कहती? डरती क्यों है सरकार? रिआया की जानकारी के बिना फोरकास्ट करेंगे, काश्तकारों से पूछ कर नहीं करेंगे, उनके रिप्रेजेन्टेटिव से पूछ कर नहीं करेंगे...

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय अध्यक्ष, मैं अर्ज करूंगा कि we have already passed clause 146. The question of discussion on clause 146 regarding forecast does not at all arise. The hon'ble member is perhaps going off the clause under discussion.

श्री भैंरूसिंह—इसमें माननीय अध्यक्ष खर्च का नाम लेकर कहा गया कि फोरकास्ट में खर्चा होता है, यह कहा कि भावों में गिरावट आ जाय तो भी जो खर्चा किया गया है वह वसूल किया जायगा..........

श्री अध्यक्ष—There is one thing. When we have a principle admitted the probable results of re-settlement, the hon' ble member does not want that consideration which shall determine whether re-settlement shall be made or not, it should be retained or not, should be discussed.

श्री भैंरूसिंह—वही तो मैं अर्ज कर रहा हूं। जो रिसेटलमेन्ट का आधार माना गया है उसको डिलीट किया जाय।

श्री अध्यक्ष—इसको डिलीट कर दिया जाय, यही अमेन्डमेन्ट पेश करिये।

श्री भैंरूसिंह—खर्चा ज्यादा हो गया, उसके बारे में जिक्र किया था। अब मैं मूल सब्जेक्ट पर जाता हूं। तीसरा इसमें रखा है "whether the existing assessment has become uneven or is unduly severe or whether other sufficient reasons exist for entering without the prospect of a reasonable increase of revenue upon the work or re-settlement"

यह जिस तरह का भाग २ है इस धारा का इसी तरह का भाग ३ है। यदि किसी कारण से लगान ज्यादा हुआ या ऐसा सख्त हुआ कि काश्तकार उसे दे नहीं सकता है और यदि सरकार को ऐसी उम्मीद है कि इस आधार पर लगान को पोस्टपोन कर सकते हैं तो सरकार फोरकास्ट नहीं करेगी। फोरकास्ट करने से पहले लगान सख्त है, काश्तकार दे नहीं सकता है और इस कारण से कमी कर रहे हैं, यदि इस तरह का फोरकास्ट हो तो दूसरी बात है। लेकिन लगान ज्यादा है, कम करने की आवश्यकता है और सरकार यह सोच ले कि बिना कम किये रिसेटलमेन्ट को पोस्टपोन कर दे तो सरकार को आंकड़े देने पड़ेगे जिससे पता चल जावेगा कि रैवेन्यू में इस कारण से कमी हुई है और मौजूदा शक्ल में जो लगान वसूल होता है वह काश्तकार नहीं दे सकते है। यह सब फोरकास्ट करेंगे तो पता चलेगा लेकिन फोरकास्ट नहीं करते हैं। तो यह सिद्धान्त केवल सिद्धान्त ही रह जायगा इसमें यह लिख कर कि लगान कम होने पर भी फोरकास्ट पोस्टपोन कर सकते हैं। इसलिए इसमें डिस्क्रिशनरी पावर्स लिये गये हैं, जो गलत हैं। जिसमें लिखा है।

[श्री भैरूसिंह]

जिसमें लिखा है :

"Provided that an increase of revenue which will recoup the expenditure on re-settlement in ten years shall ordinarily be deemed to be reasonable."

जब पैदावार बढ़ती है तो उस सूरत में सरकार के पास कौन से कारण हैं कि वह किस आधार पर रिसेटलमेंट कराये। एक तरफ तो यह बताया जाता है कि पैदावार जितनी बढ़ी हुई होगी उसका खर्चा उचित समझा जावेगा। बढ़ी हुई पैदावार के कारण १० साल में लगान की दर वसूल हो जायगी, यह सब लगान बढ़ाने के बारे में ही रखा लेकिन लगान कमी करने के बारे में किसी प्रकार का प्रोवीजन नहीं रखा। आपको यदि एक रुपया प्रति बीघा भार पड़े या दो रुपया बीघा पड़े तो रिसेटलमेंट होगा। सीमा के इन्क्रीज़ आप ने निर्धारित कर दी है, जहां दस साल के अन्दर आमदनी वसूल हो जाय तो ठीक है लेकिन आमदनी में कमी हो जाय तो उसके लिये क्या चीज है? मान लीजिये जहां पांच, रुपये चार, रुपये तीन; रुपये इस हिसाब से लगान की कमी करनी हुई तो क्या करेंगे। जहां आमदनी बढ़ाने का सवाल आयेगा। वहां तो रिसेटलमेंट जरूरी है लेकिन यह कहकर कि आमदनी बढ़ रही है इसलिये रिसेटलमेंट होना चाहिये मैं आवश्यक नहीं मानता। अगर आप किसानों के हितचिन्तक हैं तो आपको यह सोचना चाहिये कि अगर आमदनी में एक पैसे की भी कमी होती है या किसान को एक पैसे का भी नुकसान होता है तो लगान में कमी करने को बाध्य होना पड़ेगा। इसलिये इस प्रकार का प्रोवीजो, जिसमें बढ़ी हुई सीमा और कमी हुई आमदनी की सीमा निर्धारित करनी नहीं होगी तो काश्तकारों के साथ यह जबरदस्त अन्याय होगा। जब आप दस रुपये की आमदनी के बढ़ाने के साथ अगर एक पैसे की कमी लगान में होती है तो रिसेटलमेंट करायें, फोरकास्ट करिये और विश्वास दिलाइये कि किस किस कारण से लगान में कमी हुई है और कमी की पूर्ति कैसे होगी। ऐसा नहीं हुआ तो काश्तकारों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। इसके बिना काश्तकारों का भला नहीं होगा। इसलिये मेरा निवेदन है कि इस क्लॉज़ को लोप कर दें।

श्री राज हिम्मतसिंह—अध्यक्ष महोदय, मेरा संशोधन क्लॉज़ १४७ के बाबत बहुत साधारण सा है लेकिन है कुछ इसके अन्दर सेन्स, अगर माननीय मंत्री महोदय इस पर विचार करेंगे तो। मेरा संशोधन यह है।

"Substitute this clause by the following. "Time for resettlement to be fixed.—The State Government shall fix a time limit for the resettlement work of a district."

मेरा तात्पर्य यह है कि टाइम फैक्टर इसका निकाला जावे। जैसा कि सरकार चाहती है भावों के बढ़ने-घटने से या जमीन की स्थिति में फर्क आने से रिसेटलमेंट करना चाहिये, यह बहुत अनुचित सी बात होगी। आगे चलकर हम देखेंगे कि सेटलमेंट की अवधि बीस साल की गई है अगर उसी आधार पर रिसेटलमेंट होना चाहिये जिसके अन्दर कोई परिवर्तन नहीं करना चाहिये।

[श्री राज हिम्मतसिंह]

मैं ऐसा समझता हूँ कि इसका विशेष कारण है। अगर सरकार रिकन्सीडरेशन करके रिसेटलमेंट की कोशिश करती है तो जहां तक मेरा अनुभव है और मेरी जानकारी है यह जो सेटलमेंट किया जा रहा है और हो रहा है और हम देखते हैं कि इसके अन्दर एक बड़ी भारी कमी महसूस करते हैं और वह यह है कि जो ब्रिटिश टाइम में जिस प्रकार का सेटलमेंट होता था उसी की नकल करने की हमने कोशिश की है। जो सेटलमेंट हो गया वह बीस साल तक बदस्तूर चलता रहेगा इसके अन्दर अकोमोडेट करने का कोई स्थान नहीं। उदाहरण की तौर पर मैं अर्ज कर दूं, कोई एरिया जो किसी काश्तकार का पीवत दर्ज हो रहा है और वह बीस साल तक पीवत ही दर्ज होता रहेगा चाहे उसके अन्दर पानी फिरता हो या नहीं, उसको तो पीवत के हिसाब से ही लगान देना पड़ेगा। इसी तरह से सेटलमेंट २० साल तक चलता रहेगा तो इसके अन्दर काश्तकार को नुकसान है और सरकार को भी नुकसान है। जब हमारे पास स्टाफ मौजूद है, जब पटवारी और कानूनगो द्वारा हर साल जो खसरा गिरदावरी करते हैं, मौके पर जांच करते हैं वाकई जमीन के अन्दर पानी फिर गया या जो कोरवान जमीन है यदि कोई काश्तकार उस पर पानी फिराकर पीवत बना ले तो ऐसी स्थिति में सरकार को नुकसान है। चूंकि वह जमीन कोरवाना है उसी प्रकार उसका लगान होगा। अगर किसी कारण पीवत कोरवान होगई तो उसमें लगान कोरवान की एड होनी चाहिये। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि सेलटमेंट के अन्दर जो दर्ज हो गया उसके माफिक लगान वसूल नहीं होना चाहिये अगर काश्तकार ने कोरवान जमीन पीवत करदी है तो सरकार को पीवत का लगान वसूल करने का अधिकार होना चाहिये...

श्री दामोदरलाल व्यास—(राजस्व मंत्री) माननीय अध्यक्ष, माननीय सदस्य अमेंडमेंट पर बहस कर रहे हैं या सेटलमेंट की दरों पर उनका अमेंडमेंट तो टाइम लिमिट फिक्स करने का है। उसके अनुसार एक टाइम लिमिट फिक्स कर दी जाय, उस पर नहीं बोलते हुए वे रेंट रेन्ट्स आदि की बातें करने लग गये हैं।

श्री हिम्मतसिंह—(जारी रखते हुए) अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने मेरे भाषण को फोलो नहीं किया है शायद उनका चित्त इधर उधर था।

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष, पदासीन)

मैं बिल्कुल रिलेवेन्ट बातें कह रहा हूं। मैंने यह बातें बतलाई हैं कि मौजूदा क्या ट्रेन्ड है किस तरह का सेटलमेंट किया हुआ है, किस प्रकार काश्तकारों के हक हकूकों पर असर हो रहा है जब मैं यह अर्ज करता हूं कि एक टाइम फिक्स कर दिया जावे, गवर्नमेंट जो जमीन की हालत है उसके माफिक लगान लेती रहे, इस किस्म का सेटलमेंट करें तब रिसेटलमेंट करने की जरूरत नहीं आयगी। मेरे खयाल से आपने समझने की कोशिश नहीं की और कोई आपत्ति हो तो मैं नहीं कह सकता। मेरे अर्ज करने का मतलब यह है कि आगे क्लॉज़ २१० के अन्दर बीस साल का समय

[श्री हिम्मतसिंह]

मुकर्रर किया है वही टाइम सेटलमेंट का रहना चाहिये। इस तरह से रिसेटलमेंट में पड़ने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। जहां तक यदि कोई ऐसी आपत्ति न आ जाय या प्रलय न हो जाय जिसमें जमीन का नामोनिशान ही न रहे या यहां रेगीस्तान की जमीन है उसमें ऐसा परिवर्तन हो जाय कि जिससे वह उपजाऊ भूमि हो सके तो रिसेटलमेंट की नौबत आ सकती है। लेकिन उसके लिये गुंजाइश हमारे सेटलमेंट के रोजमर्रा के कार्य में होने चाहिये। इस तरह से जो लगान है उससे न तो सरकार को नुकसान हो सकता है और न काश्तकार को ही। सेटलमेंट करने की आवश्यकता तब होगी जब कि रेट्स....

श्री दामोदरलाल व्यास—मैं क्लेरिफिकेशन चाहता हूं। माननीय सदस्य ने जो अमेंडमेंट पेश किया है उसका मतलब क्या है? उस अमेंडमेंट में वर्ड्स हैं "The State Government shall fix a time limit for the resettlement work of a district."

आपका मतलब क्या है? आप कितने अरसे बाद रिसेटलमेंट करवाना चाहते हैं? महरबानी करके, आपका मतलब क्या है। what do you want by this amendment? आप जो कुछ कह रहे हैं उसका अमेंडमेंट से तो कोई तालुक नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—आप जरा सुन तो लीजिये।

कु० श्री जसवन्तसिंह—You don't try to understand it.

श्री दामोदरलाल व्यास—Or whether he has not been able to explain his point?

श्री उपाध्यक्ष—There is something somewhere, I don't know.

श्री हिम्मतसिंह—मेरे अमेन्डमेंट में मैंने साफ तौर से लिख दिया है। वही मैं समझा रहा हूँ।

श्री दामोदरलाल व्यास—आपके अमेंडमेन्ट की भाषा जो है वह तो मैं समझ गया किन्तु आप जिस तरह से उसको एक्सप्लेन कर रहे तो, वह यदि सही तरीके से समझावें तो ज्यादा बेहतर होगा। आप क्या चाहते हैं इस अमेन्डमेन्ट से...।

श्री हिम्मतसिंह अटरू—(जारी) मैं यह चाहता हूँ कि इसकी टाइम लिमिट मुकर्रर करनी चाहिये। कन्सीडरेशन जो रखा है उसकी कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिये। बीच में रिसेटलमेन्ट करने की कोशिश करें।

Page No.39

[श्री हिम्मतसिंह अटरू]

मेरा उद्देश्य तो यह है इस अमेंडमेंट को लाने का जो कि सरकार ने टाइम मुकर्रर किया है उस पर रिसेटलमेन्ट होना चाहिये। बीच में सरकार को रिसेटलमेन्ट की आवश्यकता नहीं है, यह मेरा मतलब है।

श्री उपाध्यक्ष—Now it is clear.

श्री मानसिंह महार—क्लॉज़ १४७ को लुप्त करने का जो प्रस्ताव रक्खा गया है उसका मैं समर्थन करता हूँ।

उपाध्यक्ष महोदय, "सेटलमेंट" शब्द का अर्थ यह होता है किसी प्रकार का समझौता किया जावे और वह समझौता कुछ समय के लिए हो, किन्तु दुर्भाग्य से हमारे राजस्व मन्त्रीजी "सेटलमेंट" शब्द का अर्थ ,कोई नई डिक्शनेरी में ईजाद करना चाहते हैं और इसलिये इस बिल के अन्दर उन्होंने हर जगह सेटलमेंट में रिसेटलमेंट लगा दिया है। सेटलमेन्ट से अर्थ यह होता है कि किसान को यह मालूम रहे कि उसको दस वर्ष के लिए या बीस वर्ष के लिये सरकार को यह लगान देना है, किसान को यह मालूम रहे कि इसके दरमियान में किसी प्रकार का उसको लगान देना नहीं पड़ेगा। किन्तु यह जो नया कानून बनाया जा रहा है और इसमें क्लॉज़ १४६ जैसी कलंकित धारा जोड़ी जा रही है उससे यह होगा कि सेटलमेंट कोई चीज ही नहीं रहेगी, सरकार जब चाहेगी तब सेटलमेन्ट को बदल देगी। इसको यह कह कर इसका जवाब दिया जावेगा कि रिसेटलमेन्ट तो बहुत ही आवश्यक है क्योंकि कुछ इलाकों में लगान ज्यादा हो गया होगा। लेकिन मैं यह कहना चाहूँगा कि लगान यदि किसी जगह ज्यादा आया है तो इसके लिए हमने एक विशेष कानून अलग बना दिया है और उस कानून से हम अगर कहीं किसी जगह ऐसा है तो लगान में वहां कमी कर सकते हैं, जैसा कि हमारी सरकार ने अभी जमवा रामगढ़ में किया था। लेकिन इस प्रकार का एक कानून सारे राजस्थान के लिए हमेशा के लिए हम बना रहे हैं, इसके अन्दर इस प्रकार की क्लॉज़ जोड़ना खतरे से खाली नहीं है ? अगर ये धाराएं जोड़ दी जावेंगी तो यह होगा कि सरकार किसी इलाके विशेष से नाराज हो जावेगी तो सरकार यह कहेगी कि इस इलाके में लगान बहुत कम है, इसमें हम लगान बढ़ाना चाहते हैं और उस इलाके में लगान बढ़ा देगी। किसान को किस प्रकार से राहत मिलनी चाहिये, इस प्रकार से उनके दिमाग में यह होना चाहिये कि बीस वर्ष तक तो हम अपनी जमीन को खूब खाद दें, खूब अच्छा बीज डालें तो उनको किसी प्रकार का ऊपर की तरफ से लगान बढ़ाने का भय नहीं रहेगा। लेकिन जब इस प्रकार का कानून बना दिया जावेगा तो उससे यह होगा कि वे हर समय डरते रहेंगे और इसका नतीजा यह होगा कि जो कुछ भी वह एग्रीकल्चर में तरक्की करने की ओर जावेंगे उसका उसको डर बना रहेगा कि हम अगर ज्यादा तरक्की कर जावेंगे तो बहुत मुमकिन है कि सरकार का जी ललचावेगा और सरकार यह कह देगी कि फलां इलाके में इतना डेवलपमेंट हो चुका है कि पांच रुपया, छः रुपया फी बीघा की रेट लगाई गई है, वह बहुत कम है। वहां पर तो चार

[श्री मानसिंह महार]

की बजाय सात की रेट लगा दी जावे, आठ और नौ की रेट लगा दी जावे, तो यह बहुत ही गलत बात है।

एक मिसाल यह रक्खी जा सकती है कि भावों में बहुत भारी घट-बढ़ होने से हम रिसेटलमेंट की ओर ध्यान दे सकते हैं। पर मैं यह कहूंगा कि बीस वर्ष का अरसा ऐसा होता है कि जिसके अन्दर कुछ समय के लिए यदि भाव बहुत बढ़ जावेंगे तो फिर इतने ही गिर भी जावेंगे तो फिर वह रिसेटलमेंट की आवश्यकता नहीं होनी चाहिये।

ऐसी सूरत मे उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कहूंगा कि हमारी सरकार की कुछ दृढ़ नीति होनी चाहिये और उसी नीति पर सरकार को चलना चाहिये। अगर यह कहा जावे कि हमारी नीति यह है कि कुछ जगह पर लगान में कमी करेंगे तो इसके लिए आप एक साल, दो साल का रेमिशन दे सकते हैं। कोई ऐसी बात नहीं है इसमें। अगर आप यह देखें कि फलां इलाके में फलां तहसील में लगान ज्यादा है तो वहां रेमिशन दे सकते हैं। अगर इस प्रकार का प्रोवीज़न रक्खेंगे तो आप फिर उसी पुरानी जागीर पद्धति पर आ जावेंगे जिस प्रकार जागीरदार साल दर साल लगान कम-वेश करते थे................

श्री दामोदरलाल व्यास—कम-वेश ? कम करना भी जानते थे क्या ?

श्री मानसिंह महार—सस्ताई होती थी तो कमी भी होती थी। आपके तो मालपुरा में काफी आपको तजुर्बा है। पर घबराना नहीं चाहिये जब वास्तविक बात कही जाती हो तो।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—सही बात को, अच्छी बात को ये नहीं मानेंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास—सही क्या है, यह तो सभी जानते हैं।

श्री मानसिंह महार—मैं निवेदन करूंगा कि अगर इस प्रकार की रीसेटलमेंट की व्यवस्था रहेगी तो सेटलमेंट का सिद्धान्त ही खत्म हो जावेगा। सेटलमेंट का सिद्धान्त ही यह है कि काश्तकार को निश्चित रूप से कुछ समय के लिए मालूम हो कि मुझे क्या देना है और क्या नहीं देना है, तो इसलिये कहूंगा कि मेरे मित्र दांता रामगढ़ से आने वाले ने लुप्त करने का जो संशोधन रक्खा है वह बहुत ही उचित है, वह सेटलमेंट के सिद्धान्त पर बहुत ही आश्रित है, उसके माफिक है, ऐसा होने से मैं सदन से निवेदन करूंगा और माननीय अध्यक्ष महोदय राजस्व मन्त्री से भी आपके जरिये निवेदन करूंगा कि इस प्रकार से इस क्लॉज़ को लुप्त करके "सेटलमेंट" शब्द का जो सही अर्थ है उसको रखने की कोशिश करें।

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस क्लॉज़ पर जो बहस हो रही है मैं समझता हूं कि सवाल कुछ है और जवाब कुछ है और दरअसल सेटलमेंट की टर्म्स वगैरह का जिक्र क्लॉज़ २१ में मौजूद है और इसके उसी टर्म का प्रोवीजन है। मैंने पहले अर्ज किया कि सबसे बड़ी बात तो यह है कि लोप करने के लिए जो अमेंन्डमेन्ट आया है तो इसका मतलब यह है कि रीसेटलमेन्ट के क्लॉज़ ४५-४६ को पास करने के बाद सिद्धान्त को माना है। अगर इसको स्वीकार कर लिया जाता है तो इसका मतलब यह है कि गवर्नमेन्ट को आर्बिटेरीली रीसेटलमेंट करने के अधिकार मिल जाते हैं। इस क्राइट्रेरिया पर सरकार सेटलमेंट फिर कर सकती है। गवर्नमेंट को बिकुल्ल यह अख्तियार होगा कि वह किसी आर्बिट्रेरी पॉवर को इस्तैमाल करे और रीसेटलमेंट कर ले।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—हमें इतना विश्वास है।

श्री दामोदरलाल व्यास—इसके लिए तो धन्यवाद है आपको।

मगर हम इस विश्वास-अविश्वास की बात नहीं कर रहे हैं, कानून बना रहे हैं जो आइन्दा काम में आवेगा। इसलिये डिलीट करने का सुझाव कितना हल्का है, यह तो सदन खुद विचार कर ले।

फिर दलील यह दी जाती है कि इसमें कुछ तथ्य नहीं है और यह कहना कि किसान को इस बात का विश्वास होना चाहिये कि वह जो इम्प्रूवमेंट की कार्यवाही अपने खेत पर करता है इसकी वजह से कोई लगान नहीं बढ़ाया जावेगा या बढ़ाया जावेगा तो इसके लिए; तो आप इसको देखते तो मालूम पड़ता कि हमने इसके लिए भी प्रोवीज़न कर रक्खा है और साफ कर रक्खा है कि उसके इम्प्रूवमेंट की वजह से २० साल तक उसका लगान बढ़ाया नहीं जावेगा। इसके लिए ऑलरेडी क्लॉज़ है। किसान के दिल या दिमाग में डर पैदा होने का प्रश्न ही नहीं पैदा होता।

श्री मानसिंह महार—माननीय अध्यक्ष, यह तो पर्टिकुलर किसान के लिए है। पूरी तहसील में हो तो सरकार का नियम बदल सकता है।

श्री दामोदरलाल व्यास—नीयत बदलनेका प्रश्न नहीं है। जब कानून बनाया और उसमें प्रोवीजन है कि अगर किसी तहसील में या आपकी अपनी तहसील में ही समझ लीजिये सभी मिल कर इम्प्रूवमेंट करते हैं तो बीस साल तक तो उसका आपको ही लाभ होगा, कोई लगान नहीं बढ़ाया जावेगा बीस साल तक; यह तो बिल्कुल स्पष्ट है। इसलिये यह जो दलील है इसमें कोई तथ्य नहीं है, यह तो केवल बहस के लिए है कि इस प्रकार कोई नीयत बदल जावेगी। जब कानून बनावेंगे और उसमें प्रोवीज़न रहेगा तो नीयत का कोई सवाल नहीं रह जाता। तो इस तरह में समझता हूँ कि इस पर ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। यह तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है।

Page No.42

[श्री दामोदरलाल व्यास]

दूसरा एक एमेंडमेंट माननीय सदस्य जो कोटे से आये हुए हैं उन्होंने पेश किया है। उसके लिए, अध्यक्ष, मैं समझ नहीं माननीय कि उसका पाया क्या मतलब है ? उससे मतलब निकलता है वह यह है कि रिसेट्लमेंट का काम जो है उसके लिए टाइम मुकर्रर कर लिया जाय। एमेंडमेंट का मतलब यही निकलता है कि रिसेट्लमेंट कब हो, उसको फिक्स कर दिया जाय। वह खुद मानते हैं, सेक्शन २१० में वहां प्रोवीजन है कि सेटिलमेंट का टर्म क्या हो। आप एमेंडमेंट को मुलाहिजा फरमायेंगे तो 'The State Government shall fix a time limit for the resettlement work of a district." मैं तो मतलब यही समझता हूं कि जो आप चाहते हैं कि रिसेट्लमेंट में कितना समय लगेगा उसके लिए टाइम फिर फिक्स कर दिया जाय।

दूसरी बात यह है कि मान लिया जाय कि वह चाहते हैं कि टाइम को फिक्स कर दिया जाय। मैंने अर्ज किया कि टर्म आलरेडी फिक्सड् हैं। क्लॉज़ २१० के अन्दर २० साल का टर्म मुकर्रर किया गया है। २० साल से पहले रिसेट्लमेंट नहीं करेंगे। जब तक सेटिलमेंट का टर्म खत्म नहीं हो तब तक रिसेट्लमेंट की आवश्यकता पैदा नहीं होगी। यह भी दलील दी गई है कि इससे किसान भूमि को इम्प्रूव नहीं करेंगे, जमीन की तरक्की नहीं होगी, पैदावार नहीं होगी। मेरे खयाल से वह चीज इस धारा पर एप्लाई नहीं होती। इसलिए यह क्लॉज़ पास होना चाहिए। जो एमेंडमेंट हैं उनका मैं विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—(श्री हिम्मतसिंह से) आप इसका जवाब देंगे ?

श्री हिम्मतसिंह—मैं तैयार हूं। जवाब अर्ज कर दूं।

मिनिस्टर महोदय ने फरमाया कि क्लॉज़ १४६ में दर्ज है कि सेटलमेंट के एक्सपायर होने के बाद में रिसेटलमेंट होगा। जब कि ऐसा प्रोवीजन है तो फिर आगे इसके अन्दर इतने रद्दोबदल की गुंजायश नहीं है। लेकिन वे इस बात का कन्सीडरेशन करेंगे कि इन्क्रीज़ होंगी या नहीं होंगी। क्या इसका मतलब यह समझा जाय कि एक टर्म होने के बाद सेटलमेंट का विचार नहीं करेंगे या विचार करेंगे तो उसका यह क्राइटेरिया हो। मगर रिसेटिलमेंट करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं

श्री दामोदरलाल व्यास—अगर मान लिया जाय, इस क्राइटेरिया को हम तय करें तो इस नतीजे पर पहुँचने की कोई वजह नहीं है कि रिसेटिलमेंट नहीं करें तो पुराने सेटिलमेंट को चालू रख सकते हैं and we shall have to take these factors into consideration in deciding the areas.

श्री हिम्मतसिंह—यही तो आपत्ति की बात है। हम पुराने सेटिलमेंट को चालू नह रखना चाहते हैं। जब टर्म खत्म हो गया तो लाजमी है गवर्नमेंट के लिये रीसेटिलमेंट करना।

श्री दामोदरलाल व्यास—लगान बढ़ाने की गुजाइश नहीं है तो रीसेटिलमेंट क्यों करें ?

श्री हिम्मत सिंह—टर्म खत्म होने पर करना चाहिए। इसमें यह लिखा है "Provided that an increase of revenue which will recoup the expenditure on re-settlement in ten years shall ordinarily be deemed to be reasonable."

इसमें यह प्रोवीजन जरूरी रखा है। यह बिलकुल गलत है कि इन्क्रीज़ होने पर ही रीसेटिलमेंट पर विचार करेंगे।

श्री दामोदरलाल व्यास—इसमें डिक्रीज़ के लिए भी है, इन्क्रीज़ के लिए ही नहीं है।

श्री हिम्मतसिंह—डिक्रीज़ हो तो अच्छा है। हम चाहते हैं कि काश्तकारों को फायदा पहुँचाया जाय। क्या आप काश्तकारों को फायदा नहीं पहुँचाना चाहते हैं, इसका यह मतलब समझा जाय।

श्री दामोदरलाल व्यास—मतलब तो कुछ भी समझ लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—No questions and answers.

श्री हिम्मतसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा यह पूछना चाहता हूं कि क्या सरकार की यह नीयत नहीं है कि काश्तकारों को फायदा पहुँचाया जाय, लगान में कमी हो भाव के लिहाज से तो जरूरी बात नहीं है कि रीसेटिलमेंट को पोस्टपोन करें। रीसेटिलमेंट होना चाहिए जब कि फिक्स कर दिया है टर्म २० साल का।

श्री उपाध्यक्ष—The sense has been brought home.

श्री हिम्मतसिंह—(जारी) रीसेटिलमेंट जरूर होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए। यह कौन सी बात हुई कि सरकार को रिटर्न मिलता है, रिसेटिलमेंट का खर्चा मिले तभी रीसेटलमेंट किया जाय।

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय उपाध्यक्ष, मैं फिर अर्ज कर दूं कि माननीय सदस्य गलत समझ रहे हैं। वह एक रेस्ट्रिक्शन है लगान में, बहुत थोड़ी सी इन्क्रीज़ होंगी तो उसके लिये सरकार रीसेटिलमेंट नहीं करेगी। इतनी इन्क्रीज़ यदि होती है जिससे कि १० साल की आमदनी से सेटिलमेंट का खर्चा निकल जाय देन ओनली इन्क्रीज़ को रीसेटलमेन्ट के लिये बाकी माना जायगा, मामूली इन्क्रीज़ के लिए नहीं। क्लॉज २१० में क्लियर है "whether the existing assessment has become uneven or unduly severe.........

किसानों के हित और अहित की बात नहीं है। किसानों पर लगान ज्यादा हो तो इस क्लॉज़ के मातहत फौरन रिसेटिलमेंट करेंगे। यह कोई रिसेटिलमेंट की बात नहीं है, समझनेकी बात है।

श्री हिम्मतसिंह—मैं बिलकुल नहीं समझा। जो समझा यह निवेदन कर दिया। आप चाहते हैं कि काश्तकारों पर ज्यादती की जाय तो आपकी मरजी है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री भैंरूंसिंहजी ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री हिम्मतसिंहजी ने रखा है उसे स्वीकार किया जाय।

(विराम)

संशोधन गिर गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १४७ विधयेक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १४७ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ १४८, श्री चांदमल मेहता।

(अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १४८ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १४८ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ेज़ १४९ व १५०

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉजेज़ १४९ और १५० विधेयक के अंग बनें।

[श्री उपाध्यक्ष]

(स्वीकृत)

क्लॉज़ेज़ १४९ और १५० विधेयक में अंग रूप से जोड़े गया।

(विराम)

क्लॉज़ १५१, श्री हिम्मतसिंह।

श्री हिम्मतसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, यह तो एक बहुत आवश्यक एमेन्डमेंट है इसके अन्दर: "When any district or other local area has been brought under settlement operations ..." तो इकोनोमिक सर्वे करा रहे हैं। अभी तो सेटिलमेंट ओपरेशन की शुरुआत ही नहीं हुई है। इसलिए यह समझकर मैंने एमेंडमेंट रखा है "...has been brought under resettlement operations"... 'रिसेटिलमेंट' हो रहा है या 'सेटिलमेंट' हो रहा है ? ये दोनों हैं, अतएव इसके अन्दर आपत्ति है। इसको मंत्री महोदय समझ लें और...

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय उपाध्यक्ष, आपके एमेन्डमेंट का जो पार्ट बी है "Insert the word, 'resettlement,, इसको मैं स्वीकार करना चहता हूं। part (a) जो उनका एमेंडमेंट है उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मतलब जो है वह साफ "Economic Survey" का जो प्रोवीजन है उससे हो जाता है। उसके बाद सेटिलमेंट ओपरेशन शुरू हो जाता है।

श्री हिम्मतसिंह—ठीक है, मुझको भी स्वीकार है।

श्री उपाध्यक्ष—(श्री हिम्मतसिंह से) आप पहले वाला मूव नहीं करना चाहते हैं।

श्री हिम्मतसिंह—जी हां, नहीं कर रहा हूँ।

श्री उपाध्यक्ष—We take that part (a) of the amendment of Shri Himmat-Singh has not been moved.

प्रश्न यह है कि जो दूसरा संशोधन क्लॉज़ १५१ पर श्री हिम्मतसिंहजी ने रखा है उसको स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकार किया गया।

Page No.46

[श्री उपाध्यक्ष]

(विराम)

क्लॉज़ १५१, संशोधित रूप में, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

श्री हिम्मतसिंह—इसके अन्दर एक एमेंडमेंट और है।

श्री उपाध्यक्ष—Yes.

श्री हिम्मतसिंह—माननीय अध्यक्ष, अब पार्ट बी का एमेंडमेंट है। इसमें यह है : "standard of cultivation, and increase or decrease in clutivated area since the last settlement, if any;"

Delete the words 'standard of cultivation.'

इसमें मुझे निवेदन यह करना है कि स्टेन्डर्ड ऑफ कल्टीवेशन को डिलीट कर देना चाहिए। "Standard of cultivation" से क्या तात्पर्य होता है, इसका कोई अन्दाज नहीं लगाया जा सकता है। 'स्टेन्डर्ड ऑफ कल्टीवेशन' से मतलब क्या है? इसका मतलब यह हुआ कि जिसका कोई अर्थ ही नहीं निकलता है, कोई समझ में नहीं आता है, उससे कोई लाभ नहीं है। इसलिए मैंने कहा है कि 'स्टेन्डर्ड ऑफ कल्टीवेशन' जो शब्द हैं वे यहां से डिलीट कर दिये जाने चाहिए।

पार्ट (एफ) में Add the words, 'and the standard of cultivation' after the word 'holding' at the end.

श्री दामोदरलाल व्यास—मतलब तो आपके समझ में आ गया "standard of cultivation" का क्योंकि you want to add it in (f) and not in (b), तो I believe you understand the sense quite right.

श्री हिम्मतसिंह—वहां सूटेबल नहीं था, इसलिए समझ में नहीं आया है। आगे जाकर जहां सूटेबल है, जिस जगह फिट होता है वहां पर मैं समझता हूँ उपयुक्त होगा। वहां पर स्टेन्डर्ड ऑफ कल्टीवेशन इसमें फिट है। इसको सरकार ने मूव किया है इसलिए कहीं न कहीं इसको स्थान देने की कोशिश की है।

श्री अध्यक्ष—Next, (g)

श्री हिम्मतसिंह— (जी) में 'and credit facilities; यहां इसके साथ नहीं होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष—(g) ?

श्री हिम्मतसिंह—"Delete the words 'and credit facilities' occurring at the end." इसके बजाय "(g) extent of indebtedness among tenants." ही रहने चाहिये। The rest of the words should be deleted from (g). तो क्रेडिट फेसिलिटी के बारे में विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष—क्रेडिट फेसिलिटी आपने आगे जोड़ने को कहा, पार्ट एच. के जरिये और......

श्री राज हिम्मतसिंह—'Credit facilities,' (g) से निकाल कर दूसरी सब क्लॉज (h) लागू करें।

(g) extent of indebtedness among tenants." अलग और क्रेडिट फेसेलीटीज़ को अलग किया जावे और "(h)credit facilities: and (j) transfer of land by sale or mortgage." इसको अलग किया जावे। काश्तकारों की सही स्थिति इससे मालूम होगी जब इसको अलग करेंगे। इसमें मैंने यह कमी देखी इसलिये यह संशोधन रखा है।

श्री उपाध्यक्ष—श्री भैरोंसिंह।

(अनुपस्थित)

(श्री राजस्व मंत्री को सम्बोधित करते हुए) चाहिये, कौनसा ?

श्री दामोदरलाल व्यास—एक भी नहीं।

श्री उपाध्यक्ष—एक तो मान लिया न।

श्री दामोदरलाल व्यास—सब क्लॉज 'जी' में जो संशोधन चाहते हैं उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। माननीय सदस्य को गलत फहमी हो गई है। हम जो यह इकोनोमिक सेर्व कर रहे हैं वह एरियाज़ की है न कि किसी होल्डिंग की। हमको स्टेन्डर्ड ऑफ कल्टिवेशन देखना है सब एरियाज़ का, न कि किसी होल्डिंग का, इसलिये यह अमेंडमेंट आवश्यक नहीं है।

Page No.48

[श्री दामोदरलाल व्यास]

दूसरा अमेंडमेंट है : 'extent of indebtedness among tenants' and 'credit facilities' को अलग रखने का। माननीय सदस्य चाहते हैं कि secured & unsecured debts के लिये अलग provision रखा जावे—इसकी जरूरत है क्योंकि यह सब मौजूदा clause (g) में आ जाता है, इसलिये अलग क्लॉज़ रखने की आवश्यकता नहीं है। कर्जे में सिक्योर्ड और अन-सिक्योर्ड सब आ जाते हैं और इसको अलग क्लॉज़ करने की जरूरत नहीं है। मैं समझता हूं कि यह अमेंडमेंट जो आपने बाद में पेश किया है आवश्यक नहीं है।

राजश्री हिम्मतसिंह—उपाध्यक्ष महोदय, यह इस स्थान पर.... 'transfer of land by sale or mortgage."

श्री उपाध्यक्ष—क्रेडिट फेसेलिटीज़ में आ जाता है।

श्री दामोदरलाल व्यास—Indebtedness; it may be a secured debt or unsecured debt.

श्री उपाध्यक्ष—It covers.

श्री दामोदरलाल व्यास—इसमें एक प्रिन्टिंग की मिस्टेक है...."(a) extent to which the district or area is (profited)."

यह जो है इसमें पहले शब्द "profited" था because otherwise the clause becomes meaningless.

श्री उपाध्यक्ष—"(a) extent to which the district or area is......

श्री दामोदरलाल व्यास—जी हां, ...It should be protected.

श्री उपाध्यक्ष— profited, within brackets है।

श्री दामोदरलाल व्यास—This is a printing mistake. 'protected' होना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—प्रोफिटेड आ गया और यह प्रिन्टिंग मिस्टेक है, प्रोटेक्टेड होना चाहिये।

श्री दामोदरलाल व्यास—Bracket has come by mis-print.

श्री उपाध्यक्ष—This is a press' mistake. "(a) extent to which the district or area is protected by irrigation......

श्री दामोदरलाल व्यास—I want 'protected'.

श्री उपाध्यक्ष–May I put it to vote ?

श्री दामोदरलाल व्यास—Yes, sir.

श्री उपाध्यक्ष—But this word 'profited' has been put by the Select Committee.

श्री नाथूराम मिर्धा—प्रोटेक्टेड तो सेलेक्ट कमेटी ने काट दिया साहब।

श्री दामोदरलाल व्यास—It has been deleted or what ?

This word 'profited' may remain if the Select Committee has put it.

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन क्लॉज़ १५१ के सब क्लॉज़ बी.एफ.जी. और ...

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय अध्यक्ष, मैं अर्ज कर दूं कि यहां 'प्रोफिटेड' वर्ड ठीक नहीं रहेगा .. and therefore I may be allowed to move an amendment.

That instead of the word 'profited' it should be 'protected'. I have seen Acts of different places and I think everywhere word 'protected' has been used. That is a better word.

श्री उपाध्यक्ष—Let it be protected.

प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री हिम्मत सिंहजी ने क्लॉज़ १५१ में रखे हैं उनमें से "रीसेटलमेंट" जोड़ने वाले संशोधन के सिवाय शेष स्वीकार किये जायें।

(अस्वीकृत)

शेष संशोधन गिर गये।

[श्री उपाध्यक्ष]

(विराम)

प्रश्न यह है कि "रीसेट्लमेंट" जोड़ने वाला संशोधन स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

"रीसेट्लमेंट" जोड़ने वाला संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि "Profited" के स्थान में "Protected" किया जावे।

(स्वीकृत)

'Profited" के स्थान में शब्द "protected" स्वीकृत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १५१, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १५१, संशोधित रूप में विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ १५२।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १५२ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १५२ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ेज १५२ ए, और बी.।

[श्री उपाध्यक्ष]

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ेज़ १५२ ए. और. बी. विधेयक के अंग बनें ।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज़ १५२ ए. और बी. विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये ।

(विराम)

Clause 152C, admendment to be moved by Shri Jawan Singh.

श्री जवानसिंह—I don't want to move.

श्री उपाध्यक्ष—श्री भैंरूंसिंह (अनुपस्थित)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १५२ सी. विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १५२ सी. विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

क्लॉज़ १५२ डी ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १५२ डी. विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १५२ डी. विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

Clause 152E

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)—In the marginal heading insert the words 'and submission' after the word 'publication'.

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १५२ ई. में श्री दामोदर लालजी व्यास द्वारा प्रस्तुत " Publication " के पश्चात् 'and submission' वाला संशोधन स्वीकार किया जावे ।

(स्वीकृत)

क्लॉज १५२ ई, का संशोधन स्वीकार किया गया ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १५२. ई, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लाज़ १५२ ई, संशोधित रूप में विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

क्लॉज़ १५३, श्री हिम्मत सिंह ।

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—माननीय उपाध्यक्ष, इस क्लॉज़ के बाबत मेरा संशोधन यह है :

" (a) Substitute the words, 'State Government' in place of the word 'Board' in line one of sub-clause (2).

(b) Delete sub-clauses (3) and (4) and renumber the sub-clause (5) as (3).

(c) Substitute the words, 'Settlement Commissioner' in place of the word 'Board' in sub-clause (5) (i).

(d) Substitute the words, "Settlement Commissioner' in place of the word 'Board' in sub-clause (5) (iii).".

श्री उपाध्यक्ष—एक एक एमेन्डमेंट ले लीजिये ।

श्री हिम्मतसिंह—इन एमेंडमेंट्स को मूव करने का मेरा मतलब यह है कि बोर्ड को कन्सल्ट करने में और उसके प्रोपोजल पास कराने के काम में काफी देर लगती है । यह एक

[श्री हिम्मतसिंह]

अन्नेसेसरी स्टेप नजर आता है। सेटलमेंट कमिश्नर जिसने इस प्रकार के प्रोपोज़ल्स तैयार किये हैं और जो खुद एक जिम्मेदार व्यक्ति है उसकी रिकमन्डेशन्स सीधी सरकार के पास चली जानी चाहिये और उसको बोर्ड में जाने की कोई जरूरत नहीं है। बोर्ड तो एक ऐसी बोडी है जो अगर किसी मामले में डिस्प्यूट हो तो उसको तय करे। इसलिये मैंने क्लॉज़ कि रीकॉन्स्टीट्यूट करने के लिये पेश किया है। इससे बोर्ड की जो जिम्मेदारी है वह समाप्त हो जाती है और स्टेट गवर्नमेंट का सीधा सम्बन्ध सेटलमेंट कमिश्नर से होता है, बीच का जो फंक्शन बोर्ड का होता है वह हट जाता है। इससे काम भी बढ़ेगा और प्रोसेस भी लंबा होगा, ऐसा करने से कोई लाभ नहीं होगा।

श्री उपाध्यक्ष—श्री भैरूसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री जवानसिंह।

श्री जवानसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, मेरा इस क्लॉज़ में संशोधन इस प्रकार से है कि यह क्लॉज़ जिस प्रकार ओरिजिनल बिल में है उसी प्रकार से वैसा ही रहना चाहिये। इसका अर्थ यह होगा कि सब क्लॉज़ (४) वैसी ही बना रहेगा और नये सिरे से सबक्लॉज़ेज़ (४) और (५) जो बढ़े हैं वे नहीं रहेंगे। यह मेरा संशोधन दूसरा है।

श्री उपाध्यक्ष— (श्री राजस्व मंत्री को सम्बोधित करते हुए) क्लॉज़ १५३ पर तो आपका बिल्कुल नया क्लॉज़ आ जावेगा।

श्री दामोदरलाल व्यास—I am not moving that, Sir.

श्री जवानसिंह—नया सब क्लॉज़ (४) बढ़ा है उसके बजाय ओरिजिनल बिल का क्लॉज़ रहनी चाहिये।

मैं आज-कल का जो हमारा विधान कार्य है उसमें शुरू से आखिर तक एक ही चीज देखता आया हूँ कि जो जो कानून पास करते आये हैं उन तमामों में सरकार स्वयं को प्राथमिकता देती है, अपने हाथ में तमाम कार्य को लेने का और जब जब हम कानून पास करते हैं उसमें एक विशेषता सभी माननीय सदस्यों को दिखाई देती है और वह यह कि सरकार हर कदम पर अपने हाथ में अख्तयार रखना चाहती है और पॉवर सब अपने हाथ में रखना चाहती है। यह एक धारणा पुराने जमाने में हो सकती थी जब हमारे यहां दूसरे लोग राज्य करते थे। लेकिन अब जब हमको पब्लिक ने चुन कर भेजा है और आपके सरकारी ऑफिसर आपके नीचे काम करते हैं तो फिर इस प्रकार का मतभेद नहीं होना चाहिये। इस आधार को लेकर मैं अपना संशोधन रखता हूं। मैं समझता हूं कि सरकार के पास बहुत काम करने को है और सरकार यह चाहती है कि काम

[श्री जवानसिंह]

का विकेन्द्रीयकरण किया जावे। लेकिन हम जहां तक देखते हैं कि सरकार यह चाहती है, अगर यह रेन्ट रेट मुकर्रर करने का जो काम वह भी सरकार अपने ही हाथ में रखे। यह काम सरकार रेवेन्यू बोर्ड, जो रेवेन्यू के मामलों में सबसे ऊंचा न्यायालय है, उसके हाथ में भी यह पोवर्स देने में सरकार संकोच करती है। सरकार जो काम करना चाहती है वह काम रेवेन्यू बोर्ड नहीं कर पाएगा, यह बहुत से मन्त्रियों को शंका हो सकती है। कौन सा ऐसा कारण है जिस स्टेट अपने हाथ में इस प्रकार के अधिकार रखना चाहती है? आखिर रेवेन्यू बोर्ड भी सरकार का एक अंग है और खास तौर से यह ध्यान रखना चाहिये कि वह ज्यादा जिम्मेदार है रेवेन्यू के मामलों में। मगर गवर्नमेंट अपने हाथ में अन्तिम अख्यार रखना चाहती है, रेवेन्यू बोर्ड को नहीं देना चाहती। जब हम इस बात को मानते हैं कि राजस्व बोर्ड रेवेन्यू के मामले तय करेगा तो फिर क्या परेशानी है कि रेन्ट रेट का प्रश्न है, उसके लिये अधिकार रेवेन्यू बोर्ड को नहीं दिये जावें ताकि ठीक समय पर काम हो सके। जब इन चीजों को देखते हैं तो यह शंका एक साधारण आदमी के दिल में आती है कि वह इस तरह से क्यों चाहती है कि उसके ऊपर ज्यादा बजन हो और अधिकारों का केन्द्रीयकरण क्यों नहीं हो। पहले हमने सुना था कि सरकार अपने कुछ पोवर्स को विकेन्द्रीयकरण करना चाहती है लेकिन हम यह देखते हैं कि सरकार अधिकारों का केन्द्रीयकरण करना चाहती है। इसलिये किसी कानून में कोई चीज रखती है और दूसरों में दूसरी चीज हम देखते हैं। वैसे मैंने यू० पी० आदि के लेन्ड रेवेन्यू एक्ट से भी यहां के एक्ट का मुकाबला किया और मालूम हुआ कि उसमें इस धारा की समानता नहीं है। इससे पहले हमारे यहां जो कानून पास हो चुके हैं जैसे राजस्थान टीनेन्सी एक्ट, समेरी सेटलमेंट एक्ट उनसे भी मुकाबला किया तो तमाम चीजों में एक चीज जो निश्चित रूप से आनी चाहिये नहीं है। एक चीज सोच-समझ कर तय कर ली हो, यह बात नहीं है। समेरी सेटलमेंट एक्ट में एक चीज है, तो टीनेन्सी एक्ट में दूसरी चीज रहती है और लेन्ड रेवेन्यू में तीसरी चीज रहती है। ये तीनों एक दूसरे से विभिन्न हैं।

(श्री हिम्मतसिंह अटरू, सभापति, ११. १४ पर पदासीन)

अगर हम किसी डेफिनेशन को राजस्थान टीनेन्सी एक्ट से फोलो करना चाहते हैं तो दूसरे एक्ट में वह भिन्न है। समझ में नहीं आता कि जो चीज राजस्थान टीनेन्सी एक्ट में रखी है उसको फोलो करना या इस विधेयक में जो प्रोजविन रखना चाहते हैं उसको फोलो करना चाहते हैं? एक चीज मानी चाहिये कि जो रेन्ट मुकर्रर करने का तरीका है उसका अख्यार सरकार अपने हाथ में रखेगी या नहीं या इस चीज को मान लें कि रेन्ट तय करने का काम रेवेन्यू बोर्ड के पास रहेगा। क्योंकि आखिर रेवेन्यू बोर्ड भी तो सरकार का एक अंग है और जब वह भी सरकार का एक अंग है तो फिर क्या कारण है कि उसे इस प्रकार का अधिकार नहीं दिया जावे और सरकार अपने हाथ में यह अख्तयार रखे। अब रहा सवाल रेन्ट घटाने बढ़ाने की बात। इसके लिए तो निश्चित आधार और नियम होंगे। यह तो प्राइसेज पर डिपेन्ड करता है। अगर प्राइसेज़ बढ़ जाती है या कहीं

[श्री जवानसिंह]

प्राइसेज़ घट जाती हैं तो इसके आधार पर रेन्ट को कम करने या रेन्ट को बढ़ाना होता। इस सिद्धान्त को काम में लिया जाता सकता है, इसके अलावा कोई कारण नहीं हो सकता। अगर एक जगह प्राइसेज़ बहुत ज्यादा बढ़ गई है और वहां पर लगान बढ़ाया गया है और दूसरी जगह भी प्राइसेज बढ़ गई है तो क्या कारण है कि एक जगह पर बढ़ाये जावें और दूसरी जगह पर नहीं बढ़ायी जावें। मगर जब आप डेफिनिट नियम बना देते हैं तो ऐसी सूरत में आप अपना डिस्क्रिशन यूज़ नहीं कर सकते कि एक में कुछ और दूसरे में कुछ। मगर आप इस प्रकार का डिस्क्रिशन यूज़ करने का पोवर अपने हाथ में रखना चाहते हैं, यह उचित नहीं है। और मैं मानता हूं कि यह उचित न होने के कारण उस धारा को इस प्रकार नहीं रखना चाहते हैं, बल्कि प्राथमिकता देना चाहिये रेवेन्यू बोर्ड को रेवेन्यू के मामलों के अन्दर ताकि वे निश्चित कर सकें कि हमें यह प्रोसिजर रखना है लगान वसूल करने व निश्चित करने के बारे में। पुरानी धारा के बनिस्बत इस नई धारा को रखना कि सरकार चाहे तो वापिस दुबारा कार्यवाही करवा सकती है, उचित नहीं है। मुझे कोई शंका नहीं है कि दीगर कार्यवाही करने वाले वे ही अफसर होंगे, वे ही अधिकारी होंगे जो रेवेन्यू बोर्ड के पास पहले से मौजूद हैं। वे कौन से नये अफसर आवेंगे राजस्थान से बाहर के कि उन रेट्स को घटाने या बढ़ाने में सहायता दे सकें। यह बात मेरी समझ में नहीं आयी। इसलिए माननीय चेयरमेन, मैं निवेदन करूंगा कि सब क्लॉज़ (४) जैसा पहले विधेयक में था वही कायम रखा जाय और नहीं रखा जाय।

(श्री भैरोंसिंह बोलने के लिए प्रस्तुत)

श्री सभापति (श्री हिम्मतसिंह)—आप अपना एमेंडमेंट मूव नहीं कर सकते।

श्री भैरोंसिंह (वि० सं० १६)—मैं समर्थन में कहूंगा।

श्री सभापति (वि० सं० १६ क्लॉज़)—समर्थन में, तब तो ठीक है।

श्री भैरोंसिंह—क्लॉज़ १५३ के सम्बन्ध में सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य ने जो अपना संशोधन प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करता हूं। आज-कल इस प्रान्त में और अन्य प्रान्तों में से एक आवाज प्रबल हो रही है और सरकार से मांग की जा रही है कि शासन व्यवस्था में सुधार लाने की दृष्टि से डिसेन्ट्रेलाइजेशन ओफ पॉवर्स किया जाय लेकिन हमारी सरकार तो इस आवाज के प्रतिकूल जहां कहीं उसका प्रयत्न चलता है इस बात का प्रयत्न करती है कि सारी की सारी ये शक्तियां जो कुछ हैं सरकार के नाम कुछ व्यक्तियों में केन्द्रित की जायं।

राजस्व बोर्ड को हमने राजस्व को उच्च सत्ता मानी है। चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों, राजस्व मण्डल का चाहे कैसा ही सदस्य हो, चाहे उन पर किसी भी प्रकार की शंकायें की जा

[श्री भैंरूंसिंह]

सकती हों लेकिन फिर भी इस सदन में इस बात की मान्यता की गई है कि राजस्थान के अन्दर राजस्व मंडल राजस्व के मामलों में सबसे उच्चसत्ता है और सेटलमेंट का कार्य है, वह भी राजस्व मंडल के कार्य का एक अंग है। क्लॉज़ १५३ जिस समय ओरिजिनल बिल के रूप में इस सदन में आया उस समय सरकार की ऐसी मंशा थी कि राजस्व मंडल को इसके अधिकार दे दिये जांय, सरकार के हस्तक्षेप न हों, सरकार से एप्रूवल करा लिया जाय या जो रेट्स सेटलमेंट ओफिसर्स द्वारा उचित समय में रायज़ में आई हैं उस पर सरकार की एप्रूवल ले ली जाय और सही यह है कि ओरिजिनल बिल में जैसी वह है वह इस मंशा की द्योतक है। सरकार की ऐसी इच्छा थी लेकिन जब यह धारा विचारार्थ प्रवर समिति के समक्ष आयी उस समय न मालूम वह कैसे संशोधित की गई? प्रवर समिति की रिपोर्ट अगर देखी जाय तो उसमें सिर्फ इतना सा लिख दिया गया है कि;"The committee think that the authority competent to sanction rent rates should be the State Government and not the Board. Sub-clause 4 has, therefore, been redrafted and a fresh sub-clause (5) added in order to give effect to this view." तो एक प्रकार से बार बार कुछ मंशा बदलती रहती है। अब स्थायी रूप से क्या होना चाहिए, यह मंशा बिलकुल स्पष्ट नहीं है। अभी हमने धारा २८ को पास किया है और उसमें रेवेन्यू मामलों में कन्ट्रोलिंग अथोरिटी कौनसी होगी, हमने यह लिखा है:—

"The control of all non-Judicial matters connected with revenue in the State, other than matters connected with settlement are vested in the State Government and the control of all judicial matters and of all matters connected with settlement is vested in the Board."

एक तरफ हमने अधिकार दिया, इस चीज़ को स्वीकार किया कि राजस्थान में रेवेन्यू सम्बन्धी सभी मामलों में सिवाय नोनज्युडिशियल केसेज और सेटलमेन्ट के नोनज्युडिशियल और ज्युडिशियल सभी प्रकार के मामलात हैं, उन मामलात में कंट्रोलिंग अथोरिटी राजस्व मंडल होगा। राजस्व मंडल की महत्ता को राजस्व के मामलों में स्वीकार किया है और इस चीज को भी स्वीकार किया है कि सरकार राजस्व-मामलों में कन्ट्रोलिंग अथोरिटी न होकर, वैसे सरकार तो है ही, लेकिन कानून में इस मामले में अथोरिटी न होकर रेवेन्यू बोर्ड होगा और धारा २८ में इसकी व्यवस्था की है। लेकिन धारा १५३ को देखें तो पता चलेगा कि सेटलमेन्ट कमिश्नर मामलों को स्क्रुटिनाइज़ करेगा और यदि किसी प्रकार की इन्क्वायरी की आवश्यकता हुई तो वह इन्क्वायरी करेगा और उसके बाद अपनी रिपोर्ट रेवेन्यू बोर्ड को भेजेगा और जैसा कि प्रवर समिति ने कहा है कि रेवेन्यू बोर्ड भी यह समझे कि दुबारा इन्क्वायरी कराना आवश्यक है तो दुबारा इन्क्वायरी करने के लिए या संशोधन करने के लिए या अन्य कारणों के लिए भेजेंगे। एक भी स्टेज बाकी नहीं छोड़ी जायगी; जैसा कि नई धारा में रखा है, सरकार के पास रेवेन्यू बोर्ड सिफारिश भेजेगा। या तो सरकार उसको मंजूर करे या सरकार को यह अधिकार है कि सरकार संशोधन करना चाहे,

Page No.57

[श्री भैंरू सिंह]

इन्क्वायरी कराने चाहे तो दुबारा इन्क्वायरी करा सकेगी अथवा सरकार संशोधित रूप में उसको स्वीकार करेगी या उसमें कोडिफिकेशन कर सकेगी। माननीय चेयरमेन, आप इस सारे प्रोसेस को देखिये। लैंड रेकर्ड्स ओफिसर्स और असिस्टेन्ट सेटलमेन्ट कमिश्नर्स ने कार्यवाही की, वह दुबारा कार्यवाही इन्क्वायरी करवाई जायगी और वह कार्यवाही राजधानी के सेक्रेटेरियेट में पहुँचेगी और उनमें मोडिफिकेशन किया जा सकेगा। तो यह होगा कि रेन्ट के झगड़े को लेकर, जिन काश्तकारों और सरकार के बीच में रेवेन्यू रेट्स का झगड़ा है, काश्तकार लेंड रेवेन्यू ओफिसर्स को दरख्वास्त देगा और अगर उसकी दरख्वास्त की सुनवाई न हो तो वह सेटलमेन्ट कमिश्नर के पास पहुंचेगा और यदि सेटलमेन्ट कमिश्नर के पास भी उसको संतोष न मिले तो वह रेवेन्यू बोर्ड, जो उच्च सत्ता है, को दरख्वास्त करेगा लेकिन यदि वह रेवेन्यू बोर्ड के काम से भी संतुष्ट न हो तो फिर वह सरकार के पास पहुंचेगा और सरकार ने, जैसा मैंने बताया था, ये अधिकार लिये हैं। मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ कि आज सरकार के समक्ष इतना विश्वास नहीं है जितना कि सरकार के द्वारा बनाये हुए रेवेन्यू बोर्ड में है। इस हालत में यह आवश्यकता नहीं होगी कि रेवेन्यू बोर्ड के मामलों में सरकार इन्क्वायरी करवाये, सजेशन मांगे। यह एक प्रकार का गलत तरीका होगा, जिस काम को ठीक ढंग से जल्दी कराना चाहते हैं वह जल्दी नहीं होगा बल्कि काश्तकार और जितनी पार्टी होगी उनके बीच में लिटिगेशन होगा, और जब लिटिगेशन शुरू होगा तो शहादत होगी, ओब्जेक्शन्स की सुनवाई और इन्क्वायरी के दलदल का सिलसिला इतना बढ़ जायगा कि उसमें वर्ष बीत जावेंगे। इसलिए ऐसा तरीका होना चाहिए कि जो शुरू से ही ठीक हो, शुरू से ही उसमें एतिहात बरता जाय जिससे कि मामला जल्दी से जल्दी समाप्त हो सके। एक आदमी को मौका दे दिया सेटलमेन्ट कमिश्नर के पास अपनी दरख्वास्त देने का। वह सेटलमेन्ट कमिश्नर के पास चला जायगा। वह जितनी दुरुस्ती करा सकेगा, जितना उचित बना सकेगा बना लेगा। उचित बना कर रेवेन्यू बोर्ड के पास जायगा और जैसा वह फैसला दे, जैसा वह निर्णय दे वह सारा का सारा फाइनल हो। लेकिन अगर वह मामला सरकार के हाथ में चला जाय, माननीय चेयरमेन, मैं उन चीजों का यहां अभी जिक्र नहीं करना चाहता, सरकार ने किसी प्रकार दुरुपयोग करके, कहीं रेट्स घटा दिये, कहीं बढ़ा दिये, काश्तकार और जागीरदार के बीच क्या २ झगड़े हैं, उनके बीच क्या २ सम्बन्ध हैं, हालांकि जागिरदार तो नहीं रहेंगे लेकिन सरकार और काश्तकार के बीच में वे सम्बन्ध रहेंगे। काश्तकार और जागीरदार के बीच झगड़े आयें वे तो एक साल के अन्दर समाप्त हो जावेंगे लेकिन आगे हमें प्रबन्ध करना है; आप अगर इन अधिकारों को शुरू करना चाहते हैं तो इनका संबन्ध सीधा काश्तकारों से है इन अधिकारों की सुरक्षा तभी बच हो सकती है जब कि ये सब राजस्व मंडल के अधिकार में हों कि वह कानून के आधार पर रूल्स बनाये और वे ही इन रूल्स के अन्तर्गत उनके अधिकारों को निर्धारित करें। अगर सरकार के हाथ में ये अधिकार रहे तो वह चाहेगी वैसा उसमें रद्दोबदल कर सकती है। इसलिये मेरा यह निवेदन है कि सिरोही से कि आने वाले माननीय सदस्य ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसको स्वीकार कर लिया जावे। हो सकता है राजस्व मंडल में और लोगों को विश्वास नहीं हो

[श्री भैरूंसिंह]

किन्तु सरकार को तो विश्वास करना ही चाहिये और यह विश्वास उस बोर्ड में तभी बताया जा सकता है जब कि रेवेन्यू बोर्ड को ये अधिकार हों कि वह अपनी मरजी से जचे वैसा करे। मरजी से बोर्ड के करने पर भी सारा काम जो होगा सरकार के एप्रूवल से होगा । यह हमारी शान के खिलाफ है कि किसी क्षेत्र के अन्दर चाहे कुछ भी रेट्स निर्धारित हों और उसके लिये हमें पूछें। ये अधिकार सरकार को देते हैं तो अनुचित होगा। सरकार द्वारा इन अधिकारों का दुरुपयोग हो सकता है और इससे जनता में लिटिगेशन बढ़ेगा। यह एक न्योयोचित चीज होगी, हम अगर ये अधिकार रेवेन्यू बोर्ड को देंगे। सरकार के एप्रूवल के बाद रेट्स लागू कर दे।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री)—माननीय चेयरमेन, यह जो अमेंडमेंट पेश किया गया है और जो कारण इसके लिए बताये गये हैं और जो दलीलें दी हैं बहस के दौरान में वे दलीलें इस पर लागू नहीं होतीं।

आप ओरीजिनल क्लॉज़ को देखेंगे तो इसके अन्दर "The Board, with the approval of the State Government, shall either"

So " With the approval of the State Government" is already there.

बोर्ड को यह पॉवर नहीं है और स्टेट गवर्नमेंट के बगैर एप्रूवल लिये रेन्ट रेट्स फिक्स नहीं कर सकते। इसके अन्दर जो एमेंडमेंट किया है सिलेक्ट कमेटी ने उसमें इसको महज़ ज्यादा एक्सप्लेन किया है और ज्यादा इसको क्लेरिफाइ किया ताकि प्रोसीजर को दिक्कत पैदा न हो। जहां आप समेरी सेटलमेंट के लिये एक्ट को रखें उसमें रेन्ट रेट्स की मंजूरी के पॉवर जो गवर्नमेंट को दिये गये हैं, इस धारा का जो सब सेक्शन है उससे माननीय सदस्य एश्योर करना चाहते है यह गलत है। इसलिये यह धारणा जो माननीय सदस्य की है जिन्होंने अमेन्डमेंट पेश किया है सरकार रेन्ट रेट को स्वीकृत के अधिकार अपने हाथ में इसलिये लेना चाहती है कि इसका दुरुपयोग करे। मैं सिर्फ यही बता देना चाहता हूँ, यह पावर्स तो सरकार को थी वे पावर्स रखने भी आवश्यक हैं किसानों के हित के लिये। यह तो ठीक है कि राजस्व मन्डल न उसमें कमी कर सकता है न बढ़ा हो सकता है वह अपने स्थान पर है। राजस्व मंडल को यह अधिकार है कि वह कृटिनी करे और इन्क्वायरी करे, परन्तु रेन्ट रेट्स सरकार द्वारा स्वीकृत होने जरूरी हैं।

दांता रामगढ़ से आये हुए माननीय सदस्य इस बारे में ज्यादा जानते हैं। सरकार द्वारा इस प्रकार के अधिकारों को काम में लेने से किसानों का कितना हित हुआ है, वे चाहते तो इस चीज को बहुत अच्छा समझा सकते थे मगर उन्होंने यह कह कर टाल दिया कि मैं इस विषय में यहां ज्यादा कहना नहीं चाहता। वास्तविक बात तो यह है कि ये अधिकार सरकार के पास अवश्य होने चाहिये और किसानों के हित में सरकार के पास ये अधिकार होने आवश्यक है।

[श्री दामोदरलाल व्यास]

तो मैं इस अमेंडमेंट को स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हूं, ओरीजिनल क्लॉज है वही पास किया जाय।

श्री जवानसिंह—माननीय चेयरमेन, माननीय राजस्व मंत्री का प्रत्युत्तर ऐसा था जैसा कि अमूमन दिया जाता है ट्रेजरी बेन्चेज द्वारा। लेकिन मैं केवल दो शब्द अर्ज करना चाहता हूं और वह यह कि जो क्लॉज पहले हमने इस बिल में रखा था उसमें ये शब्द थे "Revenue Board will sanction the rent rates."

एप्रूवल स्टेट गवर्नमेंट का था और रेवेन्यू बोर्ड सेंक्शनिंग ऑथोरिटी थी।

श्री दामोदरलाल व्यास—दर असल गलतफहमी हो रही है। जिस ऑथोरिटी को एप्रूवल के पॉवर दिये जाते हैं। सेंक्शनिंग ऑथोरिटी वही होती है। If supposing the Revenue Board wants to sanction a particular rate and the Government does not accord approval, what is the result? The rate is not sanctioned. तो एप्रूवल का मतलब यह होगा। A sanctioning authority becomes the Government.

श्री जवानसिंह—फिर भी जो अंग्रेजी भाषा में शब्दों की रचना है उसके अनुसार एक टर्म या एक शब्द का अर्थ विशेष होता है, दूसरी टर्मका भी वही हो तो मैं मानने को तैयार नहीं। हमें मानना होगा क्योंकि इसी प्रकार के शब्द इसी भाषा में प्रयोग में आते हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि रेवेन्यू बोर्ड को हमने सेंक्शन करने का अधिकार दिया है रेन्ट रेट्स का और उसके एप्रूवल के अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को दिये थे लेकिन अब जो हमने उपधारा रखी है यानी नंबर ५ जो रख रहे हैं उसमेंबराबर इसका उल्टा अर्थ हो गया। सेंक्शनिंग ऑथोरिटी स्टेट है: "A statement will be submitted by the revenue Board to the State Government."

(एकाएक कुछ विराम के अनन्तर)

I hope there is no quorum, Sir.

(गणपूरक घन्टी के पश्चात् गणपूरक होने पर)

(जारी रखते हुए) ट्रेज़री बेन्चेज़ की मरजी न हो कि विधेयक चलाया जावे या शायद जान बूझ कर कोरम न रखा गया हो। तो मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि जिस आंग्ल भाषा का प्रयोग इस क्लॉज़ १५३ में किया है, जैसा पहले किया था अब जिन शब्दों का प्रयोग किया है उनका अर्थ चाहे माननीय राजस्व मन्त्री मानें या न मानें यह निश्चित है और वह निकलेगा, चाहे वे इस वक्त आश्वासन दूसरा ही दें, चाहे इसके अर्थ का अनर्थ निकालें, जो मतलब मैंने निकाला था वही मतलब इसका है। रेवेन्यू बोर्ड सेंक्शनिंग ऑथोरिटी थी, एप्रूविंग

Page No.60

[श्री जवानसिंह]

ओथोरिटी स्टेट गवर्नमेंट होगी। इस नई उपधारा (४) (५) का अर्थ यहहोगा। पेपर्स केवल रेवेन्यू बोर्ड सबमिट करेगा स्टेट गवर्नमेंट को। स्टेट गवर्नमेंट सेक्शन करेगी रेन्ट रेन्ट्स। इससे दूसरा अर्थ निकाला नहीं जा सकता। राजस्व मन्त्री निकाले तो मैं उनकी खास योग्यता ही मानूंगा।

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—१५३ पर आपका एमेन्डमेन्ट था वह मूव नहीं हो रहा है क्या ?

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १५३ पर श्री हिम्मतसिंहजी का एमेंडमेंट है उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १५३ पर जो जवानसिंहजी ने एमेन्डमेन्ट रखा है, उसे स्वीकार किया जाय।

(अस्वीकृत)

एमेंडमेंट गिर गया।

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १५३ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १५३ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया,

(विराम)

(श्री राजस्व मन्त्री से) क्या आप १३३ ए. ए. मूव करना चाहते हैं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—जी नहीं।

(श्री हिम्मतसिंह अटरू सभापति, पदासीन)

श्री सभापति—क्लॉज़ १५४, श्री जवानसिंह।

Page No.61

श्री जवानसिंह—क्लॉज़ १५३ बी मन्जूर हो चुका है इसलिए यह संशोधन बेकार है। मैं इसको वापिस लेने की अनुमति चाहता हूँ।

श्री सभापति (श्री हिम्मतसिंह)—प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १५४ पास किया जावे ?

श्री दामोदरलाल व्यास—There is no clause as 154, It has deen deleted.

श्री सभापति—क्लॉज़ १५५ ए।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १५५ ए विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १५५ ए विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

१५५ बी, श्री चांदमल मेहता।

(अनुपस्थित)

श्री श्यामलाल गोयल।

श्री श्यामलाल गोयल—माननीय चेयरमेन महोदय, क्लॉज़ १५५ बी में वे तमाम बातें बतलाई गई हैं जिनमें कि किन किन जमीनों का असेसमेंट नहीं किया जावेगा और उनको एक्सक्लूड किया जावेगा। इसमें (ए) यह है" Land occupied by buildings with their appurtenances" जहां तक आबादी का सवाल है आबादी की लेण्ड तो जिस वक्त सेटलमेंट होता है वह बिल्कुल सेपरेटली डिमार्केट कर दी जाती है और वहां फिर असेसमेंट का सवाल नहीं पैदा होता।

जहां तक एग्रीकल्चरिस्ट का अपनी एग्रीकल्चरल लेन्ड पर मकान बनाने का ताल्लुक है वह बराबर अपनी जमीन पर मकान बना सकता है अपने रहने के लिए या फोडर वगैरह रखने के लिए। इसमें भी कोई कैद नहीं है। इस वक्त जिस हालत में क्लॉज़ है उसको देखते हुए यह स्पष्ट हो जाता है कि जिस वक्त सैटलमेंट या रिसेटलमेंट आपरेशन्स होने वाला हैं उस वक्त एक शख्स अगर अपनी एग्रीकल्चरल लैण्ड को मकान बनाने के लिए देदे तो गवर्नमेंट के सेंक्शन (sanction) की जरूरत नहीं, लैण्ड एक्वीजीशन एक्ट की जरूरत नहीं। ऐसा area तो जिस वक्त असेसमेंट होगा तो एक्सक्लूड कर दिया जावेगा। मैं ऐसा मानता हूं कि यह सरकार की मंशा

[श्री श्यामलाल गोयल]

कभी नहीं हो सकती। इसलिये मैंने यह संशोधन रक्खा है कि जिसमें इसके सब क्लॉज़ (ए) में "इन दी विलेज आबादी" शब्द बढ़ाने की व्यवस्था की है।

मकान की व्यवस्था है वह ठीक है और वहां पर असेस करने की जरूरत नहीं, पर इसके अलावा जनरली एग्रीकल्चरल लैण्ड में मकान बनाने लगे तो इसका मतलब यह होगा कि बहुत सा एग्रीकल्चरेबल लैंण्ड वहां खेती को अवेलेबल नहीं होगा और यह मैं विशेष रूप से इसलिये कहना चाहता हूँ कि आज जो स्थिति चल रही है वह यह है कि एग्रील्चरल लैण्ड में जगह जगह लोग-बाग मकान बना रहे हैं और यहां तक मैं कह सकता हूँ कि उस स्थिति में सरकार के आदेश की कतई परवाह नहीं की जाती। गंगापुर में ऐसी मिसालें हैं, वहां पंचायतें इसकी इजाजत दे रही हैं। अगर यह प्रोवीज़न दे दिया तो फिर इसे खुली छूट देते हैं, सेल और मोर्टगेज के बहुत अधिकार देते हैं कि वह चाहे जिसको मोर्टगेज कर दे। जिसने खरीदा है फिर वह बड़े आराम से छोटे छोटे टुकड़े उसके करें और फिर दूसरे को मकान आदि बनाने के लिए दे दे ताकि लैंड एक्विजीशन एक्ट वगैरह कानूनों की जरूरत नहीं होगी। इसलिये अर्ज करना चाहता हूँ कि खुले रूप में यह लिख रक्खा है कि ...."land occupied by buildings with their appurtenances" इतना सा कर देने से आपका मकसद हल नहीं होगा और आपको "in the village abadi" एड करना होगा। नहीं तो कॉम्प्लीकेशन्स होंगे और आइन्दा और बहुत ज्यादा होंगे और हर पंचायत या दूसरी ओथोरिटी अपना अधिकार समझेगी कि असेसमेंट तो हमें नहीं कराना होगा और एग्रीकल्चरल लैण्ड कम हो जावेगा। इन शब्दों के साथ मैं अपना अमेंडमेंट प्रस्तुत करता हूं और आशा करता हूं कि यह मन्जूर होगा।

(श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री भैरूसिंह (वि० स० १६)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, १५५ बी में मेरा संशोधन इस प्रकार है :

"Add the following new parts after the clause,

'(6) Pasture land and such other land as may be prescribed.

(7) All cultivable lands forming an uneconomic holding."

माननीय उपाध्यक्षजी, जो मेरा खास संशोधन आया है उसमें या तो मेरी गलती से या और किसी कारण से इकोनोमिक होल्डिंग के पहले अनइकोनोमिक होल्डिंग बताया था वह या तो मेरी गलती से रह गया या कहीं रह गया। पर मेरा संशोधन सही रूप में इस प्रकार है : "All cultivable lands forming an uneconomic holding"

मेरे पहले संशोधन का आशय यह है कि हमें गांवों में जितनी भी चरागाह की जमीनें हैं उन पर लगान नहीं लगाना चाहिये और क्लॉज़ १५५ बी के अनुसार यह व्यवस्था की जा रही

[श्री भैंरू सिंह]

है कि गांवों में ऐसी कौनसी जमीनें होंगी जिन पर लगान नहीं लगाया जावेगा और इसमें पांच बातों को स्वीकार किया है। एक, वह जमीन जो मकान के द्वारा घिरी हुई है, दूसरी वह जो खलिहानों के काम में आती है, तीसरी वह जहां जानवरों के मरने के बाद उन्हें डाला जाता है या शमशान भूमि जो है, चौथी वह जमीन जो रास्ते व गलियों की है उन पर और पांचवीं रक्खी है वह भूमि जो काश्त के काबिल नहीं है, योग्य नहीं है, इन पर लगान नहीं लगाया जाना चाहिये यह प्रोवीजन रक्खा गया है। ये पांच बातें हैं। पर मेरे जो दो संशोधन हैं उनमें पहले में यह है कि जितनी भी चारागाह की जमीनें गांवों में हैं उन पर लगान नहीं लगना चाहिये और दूसरी इस प्रकार की भूमि, जो किसी काश्तकार के पास है, पर अनइकोनोमिक होल्डिंग है और जिससे कि उसका भरण पोषण पूर्णतया नहीं होता, उन पर लगान नहीं लगना चाहिये। इन दो प्रकार की जमीनों के लिए मैंने अपने संशोधन के जरिये मांग की है। ये दोनों ही संशोधन बहुत ही आवश्यक हैं। पार्ट पांच में जिस तरह से लिखा है कि "uncltivable land" और राजस्व मन्त्री यह शायद कह दें कि जितने चरागाह की भूमि है उसमें काश्त नहीं होती इसलिये वह उन शब्दों से कवर होती है और लगान नहीं लगेगा; पर चरागाह की भूमि दो प्रकार की होती है : एक ऐसी जो बिलकुल काश्त के योग्य नहीं है और काश्त के योग्य नहीं है इसलिये चरागाह मानकर लोग अपने मवेशी चराते हैं और दूसरी चरागाह की भूमि ऐसी है जो काश्त के लायक है पर गांव वालों ने उसे चराने के लिए रख छोड़ा है और इसलिए लगान लगेगा तो इस हिसाब के अनुसार मेरा निवेदन है कि चाहे चरागाह काश्त के काबिल हो पर चूंकि उस पर जानवर चरते हैं इसलिए उस पर भी लगान नहीं लगना चाहिये।

अगर धारा इस रूप में स्वीकार कर ली गई तो जितने भी चरागाह हैं, जिनमें अब तक जानवर मुफ्त में चरते रहे हैं, लोग उसकी रखवाली करते हैं, आवश्यक इन्वेस्टमेंट भी करते हैं, कहीं बीज और खाद भी डालते हैं, तो वह सारा का सारा उनका प्रयत्न ठप्प रह जावेगा और गांव वालों को उसका भी लगान देना पड़ेगा जिसको आज तक वे चरागाह के रूप में मुफ्त में इस्तेमाल करते आये हैं। तो यह मेरा संशोधन है और मैं निवेदन करूंगा कि इन चारागाहों पर जिन पर आज तक लगान नहीं लगा अब भी नहीं लगना चाहिये।

आज सरकार कहती है एक तरफ तो, कि काश्तकारों का भला करेंगे, हमारा कृषि प्रधान देश है उसके लिए काश्तकारों का मवेशी का बड़ा सम्बन्ध है। तो काश्तकारों का और मवेशी का, कृषि का और मवेशी का यदि सम्बन्ध ठीक रखना चाहते हैं तो यह काश्तकार का मवेशी है उसको चराने के लिए बिना लगान की भूमि बताई जावे और भूमि अगर कहीं नहीं है तो उसको लेने की व्यवस्था की जावे। अगर व्यवस्था नहीं भी करती है तो जो है उस पर तो लगान नहीं लगाया जावे।

[श्री भैरूंसिंह)

अगर यह कहें कि यह लगान तो पंचायतों के पास चला जावेगा, पर यह भी नहीं होना चाहिये। जिस पर आज तक लगान नहीं लगता आया उस पर किसी प्रकार का लगान अब भी नहीं लगना चाहिये।

दूसरा मेरा संशोधन है कि जिन लोगों के पास अनइकोनोमिक होल्डिंग्स हैं उनसे लगान नहीं लिया जाय। आज जो गांव की व्यवस्था है इसको देखते हैं कि किसी के पास ५०० बीघा जमीन है और किसी के पास १० बीघा जमीन। ५०० बीघा जमीन जिसके पास है उससे लगान लेना चाहिए, क्योंकि वह ५०० बीघे का इस्तेमाल करता है और ५०० बीघे की जो पैदावार होती है उससे उसका भरण पोषण करता है। लेकिन जिसके पास १० बीघा जमीन है और जिसके घर वालों का जरियाए मास दूसरा नहीं है, सिर्फ खेती ही है, उसके खाने पीने के लिए प्रबन्ध करने की सरकार की ड्यूटी होनी चाहिये। जिनके पास जरियाए मास दूसरा नहीं है उनके परिवार को नौकरी दिलाये। जिस प्रकार दूसरी इन्डस्ट्रीज़ में है उसी प्रकार उनको सुविधाएं देकर काम-धन्धे पर लगावेंगे। उनको कामधन्धे पर न लगाए तो जिसका जरियाएमास खेती है, जिसके जरिये से वह अपने बच्चों का भरण पोषण करते हैं उसके ऊपर टेक्स लगाएं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। दूसरे जिस प्रकार दूसरी इन्डस्ट्रीज में छोटी चीजों को छोड़कर बड़ी चीजों पर टेक्स लगाते हैं और छोटी चीजों पर टेक्स नहीं लगाते हैं तो काश्तकारों ने ऐसा कौनसा अन्याय किया है? अनइकोनोमिक होल्डिंग पर काश्त करने वाले पर अगर १० बीघा पर काश्त करने वाला है तो उस पर टेक्स लगाया जाय; इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। कोई भी इनकम पर टेक्स लगाने की बात आती है उस वक्त सरकार कहती है कि जिनकी कम इनकम है उन पर टेक्स नहीं लगाया जाय। इनकमटेक्स, एस्टेट ड्यूटी तथा एक्साइज़ और कस्टम का टेक्स लगाते हैं उसके लिए इस सिद्धान्त को स्वीकार किया है कि कम आमदनी की जो चीज है, उन पर टेक्स नहीं लगाया जाय। कम आमदनी पर टेक्स लिया जायगा तो जिन लोगों की कम आमदनी है उन लोगों पर एक प्रकार का बोझा होगा। वे इस बोझ को बरदाश्त नहीं कर सकेंगे, उनका आर्थिक ढांचा जो है वह बिल्कुल खराब हो जायगा। इस सिद्धान्त को दूसरे प्रकार की आमदनी में मानते हैं, खेती के अलावा और भी जितनी तरह की आमदनी होती है उनमें उस सिद्धान्त को स्वीकार करते हैं, तो खेती करने वालों ने कौन सा अन्याय किया है कि इस सिद्धान्त को स्वीकार नहीं करते हैं। जिस सिद्धान्त के आधार पर वहां किया तो खेती करने वालों के लिए भी कानून में प्रोवीज़न किया जाय। उनके लिए कहा जायगा कि एक कानून बनाया गया है प्रिवेन्शन ऑफ फ्रेगमेन्टेशन एन्ड कन्सोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स एक्ट, उसके द्वारा जितनी भी अनइकोनोमिक होल्डिंग्स हैं उनको किसी न किसी तरह इकोनोमिक बनाने की कोशिश करेंगे। जिस समय वे इकोनोमिक बनती हैं तो उस समय ऑटोमेटिकली उन पर लगान लगेगा, लेकिन जब तक वे अनइकोनोमिक होल्डिंग हैं उस समय तक सरकार को उनसे लगान नहीं लेना चाहिए।

Page No.65

[श्री भैरूंसिंह]

झांसी की कांग्रेस में सन् १९३२ में इसी देश के प्रधानमंत्री ने अपने भाषण को समाप्त करते हुए सभा में यह कहा था कि हमारा देश जिस वक्त आजाद होगा उस वक्त पहला काम होगा जमींदारी और जागीरदारी को समाप्त करने का, लेकिन इस चीज को भी उन्होंने मन्जूर किया था कि अनइकोनोमिक होल्डिंग्स जितनी भी हैं उनसे लगान नहीं लेंगे। (घंटी) अब प्रश्न यह आता है कि अनइनोकोमिक होल्डिंग्स कैसी होती हैं ...

श्री उपाध्यक्ष—(धीरे से) ग्रेजिंग ग्राउन्ड पर बात हो रही है।

श्री भैरोंसिंह—जी (घंटी) का मतलब मैं क्या समझूं ?

श्री उपाध्यक्ष—इसमें रिलेवेन्सी नहीं है।

श्री भैरूंसिंह—यह बिल्कुल रिलेवेन्ट है कि अनइकोनोमिक होल्डिंग्स पर टेक्स नहीं लगना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष—हां, यह बात है।

श्री भैरोंसिंह—यही में कह रहा हूं।

मेरे निवेदन करने का मतलब यह था कि अब प्रश्न आगे सरकार के सामने है यह कि कौनसी अनइकोनोमिक होल्डिंग हो....

(घंटी)

श्री उपाध्यक्ष—अनइकोनोमिक होल्डिंग की बात नहीं है। ग्रेजिंग ग्राउन्ड की बात है, यह रेलेवेन्ट नहीं है।

श्री अवनिकुमार मुकर्जी—घंटी खराब हो गई है।

श्री भैरूंसिंह—मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि सरकार अभी तक इस बात को विचारती है। अभी तक तय नहीं किया है कि अनइकोनोमिक होल्डिंग कौन सा हो और इकोनोमिक होल्डिंग कौन सा हो? वे कहेंगे कि यह व्यवस्था कर रखी है। सीलिंग कमेटी एप्वाइन्ट की हुई है और वह सीलिंग कमेटी जल्दी रिपोर्ट पेश करने वाली है। वह सीलिंग कमेटी यह निर्धारित करने वाली है कि ज्यादा से ज्यादा जमीन कितनी रख सकते हैं और इकोनोमिक और अनइकोनोमिक होल्डिंग कौनसी होती हैं। आज जिन सिद्धान्तों को सीलिंग कमेटी मानती है उन्हीं सिद्धान्तों को मानकर यह यव्वस्था यहां पर करेंगे कि इस प्रकार की अनइकोनोमिक होल्डिंग

[श्री भैंरूंसिंह]

पर काश्त करने वाले लोगों से जिनके पास दूसरा जरियाए मास नहीं है और उनके सामने अर्थसंकट है उनको उस आर्थिक संकट से निजाद दिलाने के लिए सरकार लगान छोड़ दे या उनके घर वालों के खाने पीने का दूसरा प्रबन्ध करे, नौकरी दिलाये। यह हर सरकार का कर्तव्य है। वर्ना जो कुछ वह १०, १५ या २० बीघा जमीन को अनइकोनोमिक होल्डिंग मानती है उसका उनसे लगान नहीं ले।

यह दोनों कहकर मैं माननीय राजस्व मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि वे दोनों चीजों को स्वीकार करें, कांग्रेस के जो प्रस्ताव हैं, और भी बहुत सारे प्रस्ताव है उन प्रस्तावों पर ध्यान दें और यदि ध्यान देने के बाद उचित समझें तो दोनों बातों को स्वीकार करलें। उन प्रस्तावों को उन्होंने देख लिया होगा। वह सारे के सारे प्रस्ताव मेरे पास हैं। यदि वे चाहें तो कोटेशन प्रस्तुत करूं। लेकिन मैं समझता हूं कि उन्होंने यह चीज स्वयं देखी होगी और दुबारा कहने की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री शम्भुसिंह—माननीय उपाध्यक्ष, दांता रामगढ़ से आये हुए माननीय सदस्य ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करने के वास्ते में खड़ा हुआ हूं।

एसेसमेंट के योग्य जो भूमि है उसमें से कौनसी भूमि को उससे मुक्त किया जाय, ऐसी व्यवस्था की गई है। उन्होंने उस क्लॉज में बताया है कि ये भूमियां हैं जो एसेसमेंट से मुक्त होनी चाहिए। उनमें से एक तो वह जो गोचर भूमि है इस बात से मुक्त हो। दूसरा अनइकोनोमिक होल्डिंग, यह दोनों जो उन्होंने वर्ग बताये हैं यह बिल्कुल वाजिब हैं और उचित हैं। मैं समझता हूं कि शायद यह गलती से या किसी और वजह से इसमें शरीक नहीं किया गया है। नहीं तो यह बात इस बिल के अन्दर शरीक हो जानी चाहिए थी।

राजस्थान पशुओं और मवेशियों के वास्ते एक संपन्न देश है, और इस सम्पन्नता का यही कारण रहा है कि यहां गोचर भूमि की प्रचुरता रही है और वह भूमि ऐसी है कि जिसमें खेती भी हो सकती है, मगर वह इन्हीं पशुओं के चरने के वास्ते रिजर्व रखी गई है गोचर भूमि के हेतु। तो राजस्थान में जो यह पशु सम्पत्ति है और गउओं की जो अधिकता है उसको देखते हुए यह बिल्कुल वाजिब है कि गऊओं के चरने योग्य भूमि पर लगान नहीं लिया जाय। यह घोषित करदिया जाय कि इस वर्ग में सम्मिलित करके मवेशियों के चरने योग्य भूमि जो है वह एसेसमेंट से मुक्त कर दी जायगी।

वैसे हमारे देश में खेती के वास्ते खाद की बड़ी आवश्यकता रहती है और मवेशियों की बहुलता से खाद की बहुलता होगी और वह खाद दूसरी भूमियों में पड़ेगा तो दूसरी भूमियों की ईल्ड अपने आप बढ़ जायगी। इस वास्ते आवश्यक है कि खाद की प्रचुरता के वास्ते तथा

[श्री शम्भूसिंह]

हमारे देश में शुद्ध घी और दूध की कमी है तो घी और दूध की मात्रा बढ़ाने के वास्ते यह आवश्यक है कि यहां की गऊओं की मात्रा बढ़ाई जाय और गऊओं की मात्रा जिस तरह से इस देश में हो उनके भरण पोषण का पूरा प्रबन्ध हो। तो घी और दूध के बढ़ाने के वास्ते आवश्यक है कि गोचर भूमि के ऊपर लगान नहीं लगाया जाय।

इसके बाद दूसरा जो अनइकोनोमिक होल्डिंग है उस पर लगान नहीं लगाने की आपने सम्मति दी है वह न सिर्फ उचित है बल्कि यहां इस देश में बहुत से किसान ऐसे हैं कि जो खेती तो करते हैं, मगर उनको उस खेती का पूरा लाभ नहीं मिलता है। मेरे एक माननीय सदस्य, पूर्व वक्ता, ने कहा कि यह दूसरी श्रेणी की आमदनियों पर लगने वाला टेक्स छोटी आमदनियों पर नहीं लगाया जाता है और जैसे कि इनकमटेक्स होता है वह छोटी आमदनी जो होती है वह उस टेक्स से मुक्त रहती है, तो फिर क्या वजह है कि किसानों की कम आमदनी वाले बिल्कुल अनइकोनोमिक होल्डिंग हैं उनको भी उससे मुक्त नहीं कर दिया जाय। किसानों ने क्या अपराध कर दिया है ? ऐसे ग्राउन्ड रहते हुए अनइकोनोमिक होल्डिंग को छोड़ दें, तो यह बिल्कुल उचित बात है कि जिनके पास अनइकोनोमिक होल्डिंग हैं उनको एसेसमेंट से सिर्फ मुक्त कर दिया जाय। इस वास्ते मैं निवेदन करता हूं कि यह माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत जो संशोधन है वह अवश्य स्वीकार कर लिया जायगा।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मंत्री)— माननीय उपाध्यक्ष, यह दोनों प्रस्ताव जो हैं एमेंडमेंट के, उन्हें स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है इसलिए कि इसमें जो पाश्चर लेन्ड का प्रस्ताव है वह ऑलरेडी दफा १०२ के अन्दर प्रोवाइड किया गया है। पाश्चर लेन्ड को रिजर्व करने के पावर्स दे दिये गये हैं इसके लिए।

इसके अलावा यह प्रोविज़न भी है कि पाश्चर लैंड में किसी टिनेन्ट के खातेदारी राइट्स नहीं होंगे, इस प्रकार का टिनेन्सी एक्ट में प्रोविजन रख दिया गया है तो इसमें यह रखने की आवश्यकता नहीं है कि पाश्चर लैंड बिल्कुल फ्री रहेगी।

दूसरा अनइकोनोमिक होल्डिंग का रखा है, इसका माननीय सदस्य ने खुद ने जवाब दे दिया है। उन्होंने कहा कि अभी हम इस स्टेज में नहीं हैं कि अनइकोनोमिक होल्डिंग का कानून लागू किया जाय।

इसलिये यह कवलज वख्त होगा, वख्त आयेगा तो वैसा कानून बनाने का प्रयत्न किया जायगा। यह वख्त ठीक नहीं है इसलिये यह अमेन्डमेन्ट स्वीकार नहीं किया जा सकता।

[श्री शंभूसिंह]

एक अमेंडमेंट श्री श्यामलालजी गोयल ने दिया, उसके लिए मुझे अर्ज करना है : "land occupied by buildings with their appurtenances."

यह नीति है जो हमने टिनेन्सी एक्ट में प्रोवाइड की है कि किसान अपने खेत के अन्दर अपने रहने के लिये मकान बना सकता है, यह हक उसे हासिल है। यदि श्री श्यामलालजी का amendment स्वीकार किया जावे तो उससे किसान महरूम रह जाता है इसलिए मैं समझता हूँ कि इस वख्त इस अमेंडमेंट की आवश्यकता नहीं है।

श्री श्यामलाल गोयल—माननीय उपाध्यक्ष, जो अमेंडमेंट मैंने पेश किया है और उसके ऊपर जो माननीय राजस्व मंत्रीजी ने एक्स्प्लेनेशन दिया है इस सम्बन्ध में इसमें वे चूंकि कहते हैं कि ऊपर के क्लॉज़ का मतलब यह है कि काश्तकार अपने खेत में अपने रहने के लिए मकान बना सकता है। ऐसी सूरत में मैं अपना अमेन्डमेन्ट वापिस लेने की आज्ञा चाहता हूँ।

श्री उपाध्यक्ष—क्या सदन की अनुमति है ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री श्यामलाल गोयल—मैं अपना अमेंडमेंट वापिस लेता हूँ।

श्री भैरोंसिंह (दांता रामगढ़)—मैंने अपने दो संशोधन प्रस्तुत किये थे लेकिन माननीय मंत्री महोदय की ओर से एक संशोधन के विषय में तो आश्वासन मिला कि आज हम इस स्थिति में नहीं हैं कि इस बात का पता लगा सकें कि कौनसी अनइकोनोमिक होल्डिंग है और कौनसी इकोनोमिक होल्डिंग है, इसलिये अभी ऐसा नहीं कर सकते और जब इस स्थिति में आ जायेंगे तो ऐसा कानून बनायेंगे। तो मैं इस विश्वास पर कि सरकार यह सोच लेगी, नियम बना लेगी और यह निर्धारित कर देगी कि यह अनइकोनोमिक होल्डिंग है, तब उस पर लगान नही लगायेगी, इस आश्वासन पर मैं अपना पहला अमेंडमेंट वापिस लेता हूँ। वैसे आश्वासन अभी चाहे कार्यरूप में नहीं आये पर जल्दी से जल्दी आयेगा और ऐसी आशा बंधाई उसके लिए धन्यवाद देता हूँ।

चरागाह के बारे में बताया कि १०२, १०३ में ऐसी व्यवस्था की है। उन धाराओं को देखेंगे तो पता चलेगा कि सरकार को अधिकार अवश्य है कि वह किसी जगह पाश्चर लैंड रखे। १०२ में जैसा कि लिखा है :

"Subject to the general orders of the State Government, the Collector may set apart land for any special purpose, such as free pasturage for cattle, forest reserve, development of abadi etc..."

[श्री भैरूंसिंह]

तो मेरे कहने का मतलब यह है कि यह सारी को सारी चीज "Subject to the general orders of the State" है ।

सरकार यदि चाहे तो इस प्रकार की जमीन का अलोटमेंट कराये । जिस भूमि में बिना पैसा दिये लोग अपने मवेशी चरा सकें, यह सरकार के डिस्क्रिशन पर है, सरकार की कहीं मर्जी हो गई, कहीं नहीं हुई, मर्जी हुई तो मुफ्त में इजाजत दे दी और मर्जी नहीं हुई तो नहीं दी ; इस अधिकार का दूसरा ढंग क्लॉज़ १५५ बी. में है, उसमें यह स्पष्ट संकेत है कि किस किस भूमि पर सरकार लगान लगा सकती है । आज विधान सभा कानून बना देती है कि पाश्चर लैंड पर सरकार को लगान लेने का अधिकार है । मर्जी १०२ में देते हैं । १०२ के अनुसार तो सरकार को अधिकार दिया है कि पाश्चर लैंड में मुफ्त में मवेशी चराने की आज्ञा देने पर १५५ बी से सरकार लगान लगा सकती है, जिस पर मर्जी हो ।

इसलिये मैंने संशोधन रखा है कि यह कानून हो कि सरकार पाश्चर भूमि पर लगान नहीं लगा सकती । इस चीज को कानूनी रूप देने के लिये मैंने यह संशोधन पेश किया है । सरकार की मन्शा, नीति है कि पाश्चर लैंड गांवों में रहे पर वह उन पर लगान लगाने का अधिकार अपने हाथ में रखना चाहती है ।

ऐसा कानून ही बना देना चाहिये कि पाश्चर लैंड पर किसी किस्म का कानून नहीं लगेगा । सरकार को इस प्रकार की छूट नहीं देनी चाहिये कि किसी स्थान पर पाश्चर लैंड में मुफ्त में चराने की आज्ञा दे और कहीं नहीं दे ।

इसकी व्यवस्था १५५ बी. में हो सकती है । इसलिए मैं यह निवेदन करूंगा सदन के माननीय सदस्यों से कि भूखी गायों की पुकार को ध्यान में रखते हुए और राजस्थान के भूखे जानवरों को ध्यान में रखते हुए सरकार को मजबूर कर दें कि वह इस संशोधन को स्वीकार करे और मैं माननीय विरोधी दल के नेता से निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार उन्होंने पंचायत एक्ट के संशोधन के कानून के पास होने के समय उस पाप में हिस्सा नहीं बटाने के लिए सदन से वाकआउट किया था उसी तरह आज यह गायों के लिए अन्याय हो रहा है, उसमें शरीक न हों ।

श्री दामोदरलाल व्यास—एक थोड़ी गलतफहमी और हो रही है माननीय सदस्यों को । वे समझे नहीं । १५५ बी. से उन्होंने यह शायद समझा कि यह तमाम एरियाज़ पर लागू होता है । वह सही नहीं है । यह क्लॉज़ इन्डिविज्युल होल्डिंग के लिए है । १५५ ए. को यदि आप देखेंगे तो इसमें साफ दर्ज है कि : "On the basis of the sanctioned rent-rates the Settlement Officer shall proceed to assess rent payable, whether by way of abatement, enhancement, commutation or otherwise of the existing rent......" तो इस धारा में

[श्री दामोदर लाल व्यास]

रेन्ट रेट्स सेंक्शन नहीं होंगी यदि इन्डिविज्युअल होल्डिंग को इसमें से निकाल न दिया जायगा, जहां मकान बने हैं, प्राइवेट थ्रेशिंग हैं, प्ले ग्राउन्ड्स वगैरह हैं तो वे नहीं।

"Permanent thrashing floor, grave yards, cremation grounds and play grounds......"

ये जमीनें हैं इस पर असेसमेंट नहीं होगा। न तो इसमें गौचर भूमि का प्रश्न है, न वाक आउट होने का प्रश्न है और न ही गवर्नमेंट की नीति का प्रश्न है। माननीय सदस्य दरअसल समझ गलत रहे हैं। इससे साफ जाहिर है कि They will be excluded... "permanent roads and pathways......"

This clause pertains to assessment of the individual holdings only.

श्री रघुराजसिंह—On a point of information, cultivable but unoccupied land will be assessed or not ?

श्री दामोदरलाल व्यास—इन्डिविज्युअल होल्डिंग का सवाल है, अनऑक्युपाइड का सवाल ही नहीं है।

श्री भैरोंसिंह—क्लॉज़ १५५ में जो रेन्ट रेट्स सेंक्शन होंगी....

"The Settlement Officer shall proceed to assess rent payable, whether by way of......"

श्री दामोदरलाल व्यास—For each holding.

श्री भैरों सिंह—मैं बता रहा हूं : Under settlement operations—"On the basis of the sanctiond rent rates, the Settlement Officer shall prcceed to assess rent payable whether by way of abatement, enhancement, commutation or otherwise of the existing rent for each holding in the district or area under settlement operations."

और आपके कहने का मतलब यह है कि चरागाह की भूमि होल्डिंग नहीं ?

श्री दामोदरलाल व्यास—चरागाह की भूमि किसी होल्डिंग में आ नहीं सकती, इसीलिए टिनेन्सी एक्ट में इसे अलग रखा है।

भैरों सिंह—क्लॉज़ १५५ बी. को देखते हैं तो वह कौनसा कानून है कि श्मशान भूमि को होल्डिंग माना गया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—आपको शायद जानकारी नहीं है, वरना कई आदमियों की होल्डिंग्स ऐसी हैं जिनमें श्मशान भी हैं और कब्रिस्तान भी हैं।

श्री भैरों सिंह—परमानेन्ट प्राइवेट होल्डिंग के लिए ये दोनों किसी तरह होल्डिंग में शामिल नहीं हो सकते। होल्डिंग में शामिल हैं तो पहले से हैं, या होल्डिंग का कोई हिस्सा है, छोटी सी गली हो तो...

श्री दामोदरलाल व्यास—किसी होल्डिंग में से सड़क निकल जायगी तो उसका असेसमेंट सरकार एक्सक्लूड कर देगी।

श्री भैरों सिंह—काश्त के सवाल को लेकर है कि जिस पर काश्त नहीं होती लेकिन पाश्चर लैंड तो कल्चरेबल लैंड हो सकती है, उस पर लगान लग सकता है। लगान नहीं लगता तो १०२ में ऐसा नहीं होता और इस बात की आवश्यकता थी कि जिस तरह से हमने इन पांच भागों में जमीनको बांट कर लगान से मुक्त किया है उसी तरह से चारागाह की जमीन को भी मुक्त करते। आप कहते हैं कि किसान चारागाह पर कब्जा कर लेगा। जब आप शमशान भूमि को मुक्त करते हैं तो यह चारागाह सबके काम में आता है इसलिये इसको भी आपको लगान से मुक्त करना पडेगा। आप धारा १०२ को देख लें उसमें पाश्चर लैंड के लिये साफ़ दर्ज है। आप लैंड की डेफिनेशन देखलें, अन ओकुपाइड लैंड की डेफिनिशन देखलें; आपको मालूम हो जावेगा।

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय उपाध्यक्षजी, मैं तो अर्ज कर चुका और बता चुका फिर भी वे इस बात को इन्सिस्ट करते हैं कि चारागाह होल्डिंग में आने चाहिये which I say is impossible under the law. अगर चारागाह पर कोई कब्जा करता है तो he will have to be dispossessed. We have already provided for that in the Tenancy Act. पाश्चर लैंड में कोई खातेदारी राइट्स नहीं रहते।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि श्री भैरूसिंह अपने अमेन्डमेंट के दूसरे पार्ट को वापिस लेना चाहते हैं। क्या सदन की यह अनुमति है ?

(स्वीकृत)

अनुमति प्रदान की गई।

श्री भैरूसिंह—मैं अपने संशोधन का दूसरा भाग वापिस लेता हूं।

[श्री उपाध्यक्ष]

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १५५ बी. पर श्री भैरूसिंह ने जो संशोधन रखा है उसका पार्ट १ स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १५५ बी. विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १५५ बी. विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १५५ सी., डी., ई., एफ., जी. व एच. विधेयक के अंग बनें।

(स्वीकृत)

क्लॉजेज़ १५५ सी., डी., ई., एफ., जी. व एच. विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये।

(विराम)

क्लॉज़ १५५ एच. एच., श्री भैरूसिंह।

(विराम)

श्री भैरूसिंह (वि.सं.१६)—यह संशोधन मूव करना नहीं चाहता।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १५५ एच. एच. विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

[श्री उपाध्यक्ष]

क्लॉज़ १५५ एच. एच. विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ १५५ आई

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १५५ आई. विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १५५ आई. विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ १५५ जे।

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय उपाध्यक्ष, इस पर मेरा यह अमेंडमेंट है :

" For the existing clause substitute the following :—

"155 J. Rent from what date payable. Subject to the provisions of section 155 HH. the rent determined by order of the settlement officer under section 155 I shall be payable from the date of the commencement of the term of the settlement unless the settlement officer thinks fit, for any rersons, to direct that it shall be payable from some earlier date ".

माननीय उपाध्यक्ष, मेरा संशोधन सिर्फ इस बात को साफ करता है कि किस तरह से सेटलमेन्ट किया जावे। मौजूदा सेक्शन की लेंग्वेज ठीक करने के लिये यह संशोधन पेश किया है।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि जो संशोधन श्री दामोदरलालजी व्यास ने क्लॉज़ १५५ पर पेश किया है उसे स्वीकार किया जावे।

(स्वीकृत)

[श्री उपाध्यक्ष]

संशोधन स्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज १५५ जे. संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बने

(स्वीकृत)

क्लॉज १५५ जे., संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बना ।

(विराम)

क्लॉज़ १५५ जे. जे., श्री भैंरूसिंह ।

श्री भैंरूसिंह—मैं अपना संशोधन मूव करना नहीं चाहता।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १५५ जे. जे. विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १५५ जे. जे. विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ १५५ जे. जे. जे., श्री भैंरूसिंह ।

श्री भैंरूसिंह—मैं अपना एमेन्डमेंट मूव करना नहीं चाहता ।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १५५ जे. जे. जे. विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १५५ जे. जे. जे. विधेयक में अंग रूर से जोड़ा गया ।

(विराम)

क्लॉज़ १५५ जे. जे. जे. जे व क्लॉज़ १५५ जे. जे. जे. जे. जे.

(विराम)

[श्री उपाध्यक्ष]

प्रश्न यह कि ये क्लॉजेज़ विधेयक के अंग बने ।

(स्वीकृत)

ये दोनों क्लॉजेज़ विधेयक में अंग रूप से जोड़े गये ।

(विराम)

क्लॉज़ १५५ के., इस पर कोई अमेन्डमेंट नहीं है ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १५५ के. विधेयक का अंग बने ।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १५५ के विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया ।

(विराम)

क्लॉज़ १६७, श्री चांदमल मेहता ।

(अनुपस्थित)

श्री दामोदरलाल व्यास— There is one amendment in 166 and that may be taken up.

(विराम)

माननीय उपाध्यक्ष, एक अमेन्डन्ट १६६ में यह है कि सिलेक्ट कमेटी ने इस क्लॉज़ को ओमिट कर दिया था, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इसको वापिस इस तरह से स्वीकार किया जाय ।

"166. Matters to be determined and recorded. : The Settlement Officer shall, subject to any rules made in this behalf by the State Government under this Act, determine and record—

(a) whether rent shall be payable in one instalment or more.

(b) in case rent is payable in more then one instalments.

[श्री दामोदर लाल व्यास]

(i) the number of such instalments, and

(ii) the proportion thereof payable in each instalment.

(c) the date for payment of rent or each instalment of rent as the case may be, and

(d) any other matter which he may be directed by such rules to determine and record."

माननीय उपाध्यक्ष, यह बहुत साधारण सा अमेन्डमेन्ट है जिसमें सेटलमेन्ट ऑफिसर्स को यह डिटर्मिन कर देना चाहिए कि, कितनी कितनी किश्त होगी, किस किस प्रकार लगान की अदायगी होगी ! This is a very formal amendment which nobody, I hope, will have any objection.

श्री जसवन्तसिंह—कृपा करके यह बतावें कि सिलेक्ट कमेटी ने इसको क्यों रिजेक्ट किया ?

श्री दामोदरलाल व्यास—दरअसल बात यह थी कि सिलेक्ट कमेटी ने इन्सर्ट कर दिया दस्तूर गावांई, जो कि १६७ वीं क्लॉज़ है। आप देखिये १६७ सी।

श्री दामोदरलाल व्यास—(जारी)" 167 (2) (c) the amounts of instalments of rent and the respective dates of their payment, and"

मैं समझता हूँ कि वह वहां उपयुक्त नहीं है, और ज्यादा एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए प्रोविजन। इसीलिए मैंने उस क्लॉज़ को वापिस इन लफ्ज़ों में रिटेन करने के लिए अर्ज किया है।

The provision is already there. The Select Committee had not omitted it. As a metter of fact, मेरा खयाल है कि सिलेक्ट कमेटी ने इसको जहां इन्सर्ट किया है वहां इसको न करके एक अलग धारा के रूप में कर दिया जाय। १६६ वीं धारा अलग होनी चाहिए जैसी की ओरिजिनल बिल में है।

श्री नाथूराम मिर्धा—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस अमेंडमेंट के बारे में कुछ शब्द आपके सामने रखना चाहता हूँ।

श्री जवानसिंह—क्या विरोध कर रहे हैं ?

श्री नाथूराम मिर्धा—समर्थन कर रहा हूं और ज्यादा क्लेरिफाई कर दूं, कुंवर साहब ने जो सवाल उठाया था उसको।

Page No.77

[श्री नाथूराम मिर्धा]

यह जो संशोधन क्लॉज़ १६६ की जगह थोड़ा और दूसरे स्वरूप में माननीय राजस्व मंत्रीजी ने रखा है, यह संशोधन रखना इस कानून के लिए बहुत जरूरी है। पहले इसके लिए अलग धारा थी जिसको सिलेक्ट कमेटी ने हटा दिया है। इन्स्टाल-मेन्ट का जिक्र है वह धारा १६७ के सब क्लॉज़ (सी) में किया गया है। वह दस्तूरगावांई के लिए है। जो इन्स्टालमेन्ट फिक्स किया जाता है वह दस्तूर गावांई में लगाने से दरअसल हमारा मकसद है जो वह ठीक नहीं रहता है। रेन्ट का क्या क्या मकसद होना चाहिये ? एक रिपोर्ट सेटलमेंट ओफिसर कमिश्नर के जरीये गवर्नमेंट के पास सेन्क्शन के लिए भेजता है वह अलटी-मेटली इन्स्टालमेंट गवर्नमेंट के जरिये सेन्शकन होती है। रेन्ट रेट्स की रिपोर्ट भेजते हैं उसके अलावा और बातों की रिपोर्ट भी उस रिपोर्ट में होती है। उसमें पीरियड ओफ इन्स्टालमेंट्स कितना होगा, कितनी इन्स्टालमेंट्स होंगी, ये सारी बातें उस रिपोर्ट में भेजी आती हैं और इन सब बातों की सेन्कशन सरकार के जरिये होती है। इन्स्टालमेंट्स क्या होंगी, कब पेएबल होंगी उनका दस्तूर गावांई में मेन्शन करना तो जरूरी है लेकिन उसके पहले उन सबको क्लेरीफाई करना और वह सेटलमेंट आफिसर्स की रिपोर्ट में करना आवश्यक है और इसीलिए १६६ वीं क्लॉज़ रखी गई थी और इसीलिए यह संशोधन माननीय राजस्व मंत्रीजी ने रखा है। इस सम्बन्ध में मेरा यह सुझाव है कि इस संशोधन के लिए यह जगह, १६६ वीं क्लॉज़ जो है वह उपयुक्त नहीं होगी और इसलिए इस संशोधन का क्लॉज़ १५२ डी जो है इसके बाद क्लॉज़ १५२ डी. डी करके जोड़ दिया जाय। जहां रेन्ट रिपोर्ट का सम्बन्ध है और जो क्लॉज़ १५२ डी है वहीं आगे यह धारा १५२ डी. डी के रूप में जुड़ जायगी जो कि इसके लिए उपयुक्त प्लेस है। यह संशोधन कानून में होना जरूरी है और इसको ठीक जगह, क्लॉज़ १५२ डी के बाद, एक नये क्लॉज़ १५२ डी.डी के रूप में जोड़ना होगा और मैं समझता हूं कि माननीय राजस्व मंत्रीजी इसकी ओर ध्यान देंगे।

रावत श्री शंभूसिंह—ओन ए पोइन्ट ओफ इन्फोर्मेशन, सर, इसके लिए क्या कोई प्रोपर नोटिस आया है ?

श्री दामोदरलाल व्यास—माननीय उपाध्यक्षजी, मैं समझता हूं कि आपने जो प्लेस बताई इसके लिए कि १५२ डी. डी के रूप में इसको जोड़ दिया जाय वह उपयुक्त होगा, बजाय इसके कि इसको १६६ वीं क्लॉज़ के रूप में रखा जाय। इसको १५२ डी. डी के रूप में अलग से जोड़ दिया जाय।

रावत श्री शंभूसिंह—माननीय उपाध्यक्षजी, मैंने इन्फोर्मेशन चाही थी कि इसका प्रोपर नोटिस नहीं आया है या आया है...

श्री दामोदरलाल व्यास—एतराज देरी से आया। It has been moved aud discussed and now you are taking the objection which is too late.

श्री उपाध्यक्ष—अमेंडमेंट की इजाजत देता हूं।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्या यह नया क्लॉज़ १५२ डी. डी १५२ डी. के पश्चात जो कि संशोधित रूप में प्रस्तुत किया गया है उसको स्वीकार किया जाय ?

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १५२ डी. डी, संशोधित रूप में, विधेयक में, अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ १६७, अमेंडमेंट बाई श्री चान्दमल मेहता।

(अनुपस्थित)

श्री भैरोसिंह।

(अनुपस्थित)

श्री दमोदरलाल व्यास—There is a formal amendmsnt of mine-

"Omit part (c) of sub-section (2)."

यह जोड़ने के लिये है, जब आपने १५२ डी. डी नया क्लॉज़ लगाया है।

श्री हिम्मतसिंह अटरू—इन्स्टालमेंट की अवस्था में आवश्यक नहीं रहेगा।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १६७ में श्री दामोदरलाल व्यास का अमेंडमेंट स्वीकार किया जाय।

(स्वीकृत)

संशोधन स्वीकृत हुआ।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १६७, संशोधित रूप में, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

[श्री उपाध्यक्ष]

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १६७, संशोधित रूप में, विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ १६८

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ १६८ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ १६८ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ २१०, श्री हिम्मतसिंह।

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—उपाध्यक्ष महोदय, क्लॉज़ २१० में मेरा अमेंडमेंट इस प्रकार है;

"Substitute 10 years in place of 20 years in clause (1) as well as in proviso."

२० साल की बजाय १० साल रखने का कारण यह अर्ज करना चाहता हूं कि प्रकृति का साइकिल दस साल का है इसलिये प्रकृति के साथ ही हमें चलना चाहिये। रेनफाल के ऊपर नजर डाली जावे तो पिछले जो नकशे हैं उनसे मालूम पड़ेगा कि रेनफाल्स दस साल से अक्सर बदल जाया करते हैं। इसका साइकल दस साल में आ जाता है। इसी तरह से अगर अनाज के भावों पर निगाह डाली जावे तो मालूम पड़ेगा कि अनाज के भाव भी दस साल में बदल जाते हैं। जो भाव मन्दी और तेजी के होंगे उसका नकशा भी दस साल में बदल जाता है।

बीस साल में बन्दोबस्त करने से यह होगा, इसका असर रेनफाल और भावों पर भी पड़ता; है पैदावार की कीमत पर भी इसका असर पड़ेगा। अगर बन्दोबस्त एवरी टेन ईयर रखा जाता है तो मैं समझता हूं कि हम नेचर के साथ चलेंगे। इससे लोग बागों को भी ज्यादा राहत मिलेगी बजाय इतना गेप छोड़कर २० साल का बंन्दोबस्त का प्रोवीज़न करें तो।

श्री गोपीलाल यादव—बीस साल ही ठीक है ।

श्री हिम्मतसिंह—बहुत सी लड़ाईयां दस-दस साल बाद छिड़ी हैं, इसलिए जल्दी से जल्दी सेटलमेंट करना चाहिए ?

श्री गोपीलाल यादव—बीस साल से पहले कौनसी लड़ाइयां होती रहीं ?

श्री हिम्मतसिंह—लड़ाइयां तो हमेशा चलती रही हैं, आज भी चल रही हैं । लड़ाइयों के साथ-साथ भावों में भी रद्दोबदल होती है । तो मेरे ख्याल से इसको दस साल का समय करने में गवर्नमेंट को सहूलियत है । गवर्नमेंट को लाभ है पब्लिक को भी व लाभ है । बीस साल का समय इतना लम्बा है कि इस में कई बार भावों में ऊंच-नीच आता रहता है । इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि बजाय बीस साल के दस साल रख दिया जाय ।

श्री दामोदरलाल व्यास (राजस्व मन्त्री)—उपाध्यक्ष महोदय,. अभी थोड़ी देर पहले एक इसी प्रकार का क्लॉज़ आया था, उसी पर माननीय सदस्य ने कहा जो कुछ कर दिया है उस पर विश्वास होना चाहिए, जल्दी जल्दी समय नहीं बदलना चाहिए ताकि हर आदमी अपनी जमीन पर तरक्की करे । इन सब बातों को देखते हुए मेरे खयाल से टर्म ऑफ सेटलमेंट २० साल ही रखा जाना चाहिए जैसा कि सिलेक्ट कमेटी ने भी यही सुझाव दिया है । इसलिए माननीय सदस्य का एमेंडमेंट जो है वह मंजूर करने योग्य नहीं है ।

श्री जवानसिंह—उपाध्यक्ष महोदय मरजी सबकी ऐसी हो रही है कि अब सेशन को स्थगित कर दिया जाय और इसलिये शायद माननीय मंत्री भावुकता में बह गये । अभी मैं खुद सोच रहा था कि मैं अपना संशोधन पेश करूं या नहीं । प्रश्न केवल यह है, जब क्लॉज़ १५३ पर मैं संशोधन के जरिये कुछ कहना चाहता था उस वक्त मैंने हर चन्द कोशिश की कि सरकार इस बात को मन्जूर कर ले कि उन पर बहुत वजन पड़ रहा है जरूरत से ज्यादा बोझ न उठावे, हो सकता है यह बोझ बढ़ता बढ़ता इतना न बढ़ जाय कि वे दब न जांय । इसलिए मैंने यह निवेदन किया कि काम का विकेन्द्रीकरण किया जाय । रेवेन्यू बोर्ड को यह अख्तियार दिये जांय, रेन्ट्स के मामले में सेटलमेन्ट कब होना चाहिये । बीस साल में हो या दस साल में ही, यह सरकार की जिम्मेवरी है कि वह इस प्रकार के कार्य रेवेन्यू बोर्ड को डेलीगेट करे जिस वक्त मैंने यह कहा, आप लोग उस वक्त माने नहीं । अब निरर्थक समय व्यतीत करने से बेहतर तो यह होगा कि मैं अपना अमेन्डमेन्ट ही पेश न करूं ।

श्री हिम्मतसिंह (अटरू)—उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इस पर जवाब यह है कि जो जवाब माननीय राजस्व मंत्री ने दिया उससे मैं यह समझा कि दस साल का सेटलमेन्ट करने से सरकार की धारणा यह है कि लगान बढ़ाये भी जावेंगे या नहीं, मैं यह धारणा सही नहीं समझता । यह जरूरी नहीं कि दस साल तक लगान कम ही होवे, अगर जरूरत हो तो वह बढ़ाया भी जा सकता है । इसलिये मैंने इस

[श्री हिम्मतसिंह]

बात के ऊपर जोर दिया है। सब मेरे मित्र जो बैठे हुए हैं वे सब इस बात को मानेंगे कि दस साल में बन्दोबस्त होना चाहिये और यह ज्यादा उपयुक्त साबित होगा बनिस्बत बीस साल के टर्म के।

श्री उपाध्यक्ष—प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २१० पर जो संशोधन श्री हिम्मतसिंह ने रखा है उसे स्वीकार किया जावे।

(अस्वीकृत)

संशोधन अस्वीकार किया गया।

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २१० विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २१० विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ २१० ए

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २१० ए विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २१० ए विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

श्री जवानसिंह—माननीय उपाध्यक्षजी, क्या यह अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है हमारे।

श्री उपाध्यक्ष—कहां, किन अधिकारों का ?

श्री जवानसिंह—मुझे क्लॉज़ २१० ए पर संशोधन पेश करने का मौका नहीं मिला।

श्री उपाध्यक्ष—सभी क्लॉजेज़ साथ चल रहे हैं, तो आपने बात तो कर ली थी।

श्री जवानसिंह—मुझे विशेष एतराज नहीं है।

श्रीउपाध्यक्ष—क्लॉज़ २११.

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २११ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २११ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ २१३

(विराम)

प्रश्न यह है कि क्लॉज़ २१३ विधेयक का अंग बने।

(स्वीकृत)

क्लॉज़ २१३ विधेयक में अंग रूप से जोड़ा गया।

(विराम)

क्लॉज़ २१४ में कोई संशोधन प्रस्तुत नहीं करना चाहते।

सदन के भविष्य के कार्य-क्रम सम्बन्ध वाद-विवाद

कुं० श्री जसवन्तसिंह—संशोधन तो हैं साहब, पर इसलिए पेश नहीं करना चाहते कि टाइम हो गया है।

श्री उपाध्यक्ष—कल का विचार है आपका ? अब यह बहस है कि कुछ लोगों की इच्छा है कि सैटर्डे को मीटिंग रक्खी जावे; पर सरकार की तरफ से कई सदस्यों ने यह कहा कि ६ तारीख को ११ से ५ तक रख लिया जावे क्योंकि आने वाले तो सुबह ही आजावेंगे।

कुं० श्री जसवन्तसिंह—That is a Public holiday.

श्री जवानसिंह—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी कोई अर्जेन्सी नहीं है कि पब्लिक होलिडे को काम करके इसको पास करें। मैं यह मानता हूँ कि हमें समय नष्ट नहीं करना चाहिये, पर अनावश्यक रूप से दूसरे अनावश्यक कामों के लिए पब्लिक होलिडे के दिन भी काम नहीं करना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—अच्छा तो फिर सोमवार को चार बजे ही सही। तो सोमवार तारीख १२-१२-५५ को चार बजे हम मीट करेंगे।

(सदन की कार्यवाही १२ बज कर ३७ मिनिट पर, दिनांक १२ दिसम्बर, १९५५ को चार बजे तक के लिए स्थगित हुई)

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक–७ दिसम्बर, १९५५

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

परिशिष्ट १

(कृपया प्रश्न संख्या १०६ का उत्तर देखिये)

राजस्थान में महिलाओं के अस्पतालों की सूची

१,	स्टेट जनाना अस्पताल	जयपुर
२,	जनाना अस्पताल	कोटपुतली
३.	जनाना अस्पताल	अलवर
४.	जनाना अस्पताल	टोंक
५.	एस. के. एम. डबल्यू अस्पताल	धौलपुर
६.	जनाना अस्पताल	भरतपुर
७.	उम्मेद अस्पताल	जोधपुर
८.	मेटरनिटी अस्पताल	उदयपुर
९.	मेटरनिटी अस्पताल	प्रतापगढ़
१०.	मेटरनिटी अस्पताल	भीलवाड़ा
११.	पी. बी. एम. जनाना अस्पताल	बीकानेर
१२.	एम. आर. बी. महिला चिकित्सालय	रतनगढ़
१३.	मेटरनिटी अस्पताल	कोटा
१४.	मेटरनिटी अस्पताल	बूंदी
१५.	एम० एच० के० जनाना अस्पताल	झालावाड़

शुद्धि-पत्र

पृष्ठ सं०	लाईन सं०	अशुद्ध	शुद्ध
८४९	१	बुद्धवार	बुधवार
८४६	७	औषधालायों	औषधालयों
८५१	११	मिरधा	मिर्धा
८७६	शीर्षक	१६५३	१६५४
८८०	१	श्री श्यामलाल गोयल	श्री दामोदरलाल व्यास
६१६	१	श्री शंभूसिंह	श्री दामोदर लाल व्यास
६२०	१	श्री उपाध्यक्ष	--
६२०	२	— :	श्री उपाध्यक्ष—